

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 01 दिसम्बर, 2025 / 10 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 90

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी, ग्यारहवीं, बारहवीं, तेरहवीं और सोलहवीं लोक सभा के सदस्य; प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, छठी, नौवीं, तेरहवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री रवि नायक, बारहवीं लोक सभा के सदस्य; श्री धर्मेन्द्र, चौदहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री श्रीप्रकाश जायसवाल तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

माननीय अध्यक्ष ने सभा की ओर से भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को दिनांक 2.11.2025 को दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, 2025 जीतने तथा इंडियन ब्लाइंड वूमन क्रिकेट टीम को 23.11.2025 को नेपाल को फाइनल में हराकर पहला वूमन टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड 2025 जीतने के लिए बधाई दी।

* मूल हिन्दी में। अधिक जानकारी के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

उन्होंने 24.11.2025 को चीनी ताइपे को फाइनल में हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीतने के लिए भारत की महिला कबड्डी टीम को भी बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 का मौखिक उत्तर दिया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.19 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 2 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय विरासत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विरासत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, लेह के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति शिक्षण संस्थान, दाहंग के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय हिमालयीय संस्कृति अध्ययन संस्थान, दाहंग के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 7 अक्टूबर, 2025 को प्रख्यापित मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का संख्यांक 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) शेयर बाज़ार घोटाला और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वें प्रगति प्रतिवेदन, दिसम्बर, 2025 की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 511(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 703(अ) में कतिय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 762(अ) जो 17 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 703(अ) में कतिय संशोधन किए गए हैं।

(2) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 512(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.703(अ) में कतिय संशोधन किए गए हैं।

(दो) सा.का.नि. 761(अ) जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 702(अ) में कतिय संशोधन किए गए हैं।

(3) (एक) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश रंजन ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) से संबंधित 'औषध क्षेत्र में दवाओं की कीमतों में वृद्धि से आम नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा प्रभाव-एक समीक्षा' चौदहवां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित 'उर्वरकों के आयात को नियंत्रित करने की दृष्टि से उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता - इससे संबंधित बाधाओं की समीक्षा' संबंधी पन्द्रहवां प्रतिवेदन।

7. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के लिए लोक सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 एवं 3.1.1 के साथ पठित संस्थान की संपत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबंधन की योजना के खंड 9.1(ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, योजना और विनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

* इन प्रतिवेदनों को 04.10.2025 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को प्रस्तुत किया गया और 21.08.2025 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

8. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना

डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

“कि यह सभा ‘दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है”।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

9. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना

श्री तेजस्वी सूर्या ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

“कि यह सभा ‘जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को शीतकालीन सत्र, 2025 के दूसरे सप्ताह के अंतिम दिवस तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

10. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-2026 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.07 बजे

11. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025

12. अध्यादेश संबंधी विवरण - सभा पटल पर रखा गया

मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

13. सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

(i) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

प्रो. सौगत राय ने विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(ii) स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

तिरु डी. एम. कथीर और प्रो. सौगत राय ने विधेयक पुरःस्थापित करने का विरोध किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.13 बजे स्थगित हुई
और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 2.00 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू-कश्मीर के जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल ओवर-ब्रिज/अंडरपास और फुट ओवर-ब्रिज के निर्माण के बारे में।
2. श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, खजुराहो के आस-पास

के क्षेत्रों में अतिक्रमण और निर्माण गतिविधि के बारे में।

3. श्रीमती मालविका देवी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी सुनिश्चित किए जाने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) परियोजना के अंतर्गत गांवों को शामिल करने हेतु सीमा मानदंडों में बदलाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री विद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बागबेरा जल आपूर्ति परियोजना के कार्यान्वयन में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा देश के प्रत्येक राज्य में इसरो की स्पेस लैब/संग्रहालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा सुपारी को शुल्क मुक्त कोटा मुक्त अधिमान्य व्यापार योजना से बाहर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती भारती पारधी द्वारा देश में आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के मंडी-हमीरपुर खंड के कार्य में तेज़ी लाए जाने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली और वास्तविक समय निगरानी उपकरण स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री पी.पी. चौधरी द्वारा रेगिस्तानी राज्यों के लिए समर्पित घटक सहित पारंपरिक जल निकाय पुनरुद्धार योजना हेतु राष्ट्रीय मिशन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दुआर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार से राज्य आपदा राहत कोष के अंतर्गत धनराशि आवंटित किए जाने का आग्रह किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री हैबी ईडन द्वारा देश में डिजिटल एसेट्स से संबंधित घोटालों और अन्य धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के खतरे से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन नीतिगत ढांचा तैयार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री एस. सुपोंगमेरेन जमीर द्वारा नागालैंड के कोहिमा में आकाशवाणी और दूरदर्शन

केंद्र में कर्मचारियों की स्थिति के बारे में।

14. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा झुंझुनू और चिड़ावा के बरास्ते सीकर-दिल्ली रेलमार्ग पर नियमित रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

15. श्री उत्कर्ष वर्मा 'मधुर' द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से दवाओं की बिक्री को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

16. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कथित नकली कफ सिरप की आपूर्ति की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. प्रो. सौगत राय द्वारा विभिन्न राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से उत्पन्न स्थिति के बारे में।

18. श्रीमती जून मालिया द्वारा पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज और दामोदर घाटी निगम बांध की गाद हटाए जाने और उनका अनुरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

19. श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा तमिलनाडु के अरक्कोणम रेलवे जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

20. डॉ. कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना और संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21. श्री कौशलेंद्र कुमार द्वारा बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बिहार शरीफ स्थित जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री अनिल यशवंत देसाई द्वारा देश में छात्रों और आम लोगों के लिए कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) प्रक्रिया को ज़रूरी बनाए जाने के बारे में।

23. श्री बालशौरी वल्लभनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए बहुउद्देशीय चक्रवात केंद्रों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

24. श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दमन और दीव में दिशा समिति की बैठकों को विनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

15% सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुशंसित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 12 मिनट

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 07.10.2025 को प्रख्यापित मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।”

पैरा 16 पर चर्चा के पश्चात, संकल्प मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

16%. सरकारी विधेयक- पारित

मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री शशांक मणि ने चर्चा में भाग लिया।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार पर विचार किया गया।

खण्ड 2 से 16 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

% एक साथ चर्चा की गई।

अपराहन 2.13 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2025 के
पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 02 दिसम्बर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 91

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा *

माननीय अध्यक्ष ने भारत की यात्रा पर आए जॉर्जिया की पार्लियामेंट के चेयरमैन महामहिम श्री शालवा पपुआशविली और संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करने की घोषणा की तथा सभा की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23 तक लिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 24 और 25 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23 तथा 26 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 298 और 300 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.16 बजे स्थगित हुई
और मध्याह्न 12.00 बजे पुनःसमवेत हुई।)

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखे।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 812(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) बायलर अधिनियम, 2025 की धारा 41 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) केंद्रीय बायलर्स बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2025 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.615(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) बायलर दुर्घटना जांच नियम, 2025 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.616(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) तकनीकी सलाहकार (अर्हता, अनुभव, वेतन और भत्ते) नियम, 2025 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.617(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक (अर्हता और अनुभव) नियम, 2025 जो दिनांक 10 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.618 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम, 2025 जो दिनांक 23 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.705 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) बायलर परिचारक नियम, 2025 जो दिनांक 29 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.721(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
 - (सात) बायलर (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.767(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) बायलर (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 2025 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.768 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) (एक) केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (दो) जम्मू-कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2019-2020 से 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर, सूबेदार मेजर (दूरसंचार), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार काडर, (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.538(अ) में प्रकाशित हुए थे।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (समूह 'ख' पद) भर्ती विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-11011(18)/14/2023-प्रशा_6/ए. में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (समूह 'ग' पद) भर्ती विनियम, 2024 जो दिनांक 22 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या वी-11011(18)/14/2023-प्रशा_6/बी में प्रकाशित हुए थे ।

- (2) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) (एक) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पीएडब्ल्यूएमईएनसीएपी (पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन्स), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फ्रेंड्स ऑफ हैंडीकैप्ड-इंडिया, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) पीपल विद हियरिंग इम्पेयर्ड नेटवर्क (पीएचआईएन), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पीपल विद हियरिंग इम्पेयर्ड नेटवर्क (पीएचआईएन), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) संजोस वेलफेयर सेंटर, एट्टूमनूर, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संजोस वेलफेयर सेंटर, एट्टूमनूर, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) मेरठ चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मेरठ चिल्ड्रन वेलफेयर ट्रस्ट, मेरठ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) कोंगु अरिवालया ट्रस्ट, इरोड, तमिलनाडु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोंगु अरिवालया ट्रस्ट, इरोड, तमिलनाडु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (8) (एक) आशानिलयम, पोनकुन्नम, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आशानिलयम, पोनकुन्नम, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) विकलांग विकास परिषद, आगरा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विकलांग विकास परिषद, आगरा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) विकलांग समाकलन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विकलांग समाकलन संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025

- के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) के.एस.जे. हाई स्कूल, रतनपुर खुर्द, संभल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) के.एस.जे. हाई स्कूल, रतनपुर खुर्द, संभल, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (13) (एक) स्नेहाराम चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्नेहाराम चैरिटेबल सोसाइटी, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) (एक) मरीएन सर्विस सोसाइटी, मुत्तिकुलंगरा, पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मरीएन सर्विस सोसाइटी, मुत्तिकुलंगरा, पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (15) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सेवानिकेतन तिरुहृदय निवास, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

- लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेवानिकेतन तिरुहृदय निवास, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सोसाइटी ऑफ ख्रीस्त ज्योति: नव वाणी स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसाइटी ऑफ ख्रीस्त ज्योति: नव वाणी स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) स्वर्ण स्वयंकृषि ऑफ सोसायटी, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वर्ण स्वयंकृषि ऑफ सोसायटी, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) एस.के.आर. पुपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिले के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एस.के.आर. पुपिल्स वेलफेयर सोसाइटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) वेलुगु, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेलुगु, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) चावरा स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड, कूनम्मावु, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चावरा स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड, कूनम्मावु, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) विमला महिला समाजम, मुवतुपुझा, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

- (दो) विमला महिला समाजम, मुवत्तुपुझा, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) प्रतीक्षा भवन स्कूल फॉर द मॅटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इडुक्की, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रतीक्षा भवन स्कूल फॉर द मॅटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इडुक्की, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) साधना सोसाइटी फॉर द मॅटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साधना सोसाइटी फॉर द मॅटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) शांतिनिकेतन रेजीडेंसियल इंस्टिट्यूशन फॉर मॅटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शांतिनिकेतन रेजीडेंसियल इंस्टिट्यूशन फॉर मॅटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) डिस्ट्रिक्ट डिसएबल्ड स्कूल, झारसुगुडा, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डिस्ट्रिक्ट डिसएबल्ड स्कूल, झारसुगुडा, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ अकादमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड बॉयज़ अकादमी, नरेन्द्रपुर, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, (वीओआरडीएस), कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वॉलंटरी ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, (वीओआरडीएस), कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ़ द डीएफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ़ द डीएफ एंड ब्लाइंड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) रक्षा सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कोचांगडी, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रक्षा सोसाइटी फॉर द केयर ऑफ़ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कोचांगडी, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी, आदिमाली, इडुक्की जिला, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कार्मेल ज्योति चैरिटेबल सोसाइटी, आदिमाली, इडुक्की जिला, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) एम्माउस विला चैरिटेबल सोसाइटी, वायनाड, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एम्माउस विला चैरिटेबल सोसाइटी, वायनाड, केरल के वर्ष 2024-2025

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चाइल्ड गाइडेन्स सेंटर, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) (एक) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज़, ज़िला-काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शांतिवर्धन मिनिस्ट्रीज़, ज़िला-काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, इंफाल, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मेंटल हाइजीन, इंफाल, मणिपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) (एक) इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) फेथ-इंडिया (फाउंडेशन फॉर एबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर द हैंडीकैप्ड-इंडिया), पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फेथ-इंडिया (फाउंडेशन फॉर एबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर द

- हैंडीकैप्ड-इंडिया), पलक्कड़, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) जे एंड जे करुणोदय इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, एलुरु, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जे एंड जे करुणोदय इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, एलुरु, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, निज़ामाबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) हेलेन केलर स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हेलेन केलर स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) नॉर्थ बंगाल हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ बंगाल हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) श्री दाक्षिण्य भाव समिति, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री दाक्षिण्य भाव समिति, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) सेंट जोसेफ मेंटल हेल्थ केयर होम, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट जोसेफ मेंटल हेल्थ केयर होम, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च (सीआरएसआर), भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन सर्विसेस एण्ड रिसर्च (सीआरएसआर), भद्रक, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) (एक) समाज कल्याण केन्द्र, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समाज कल्याण केन्द्र, त्रिशूर, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (49) (एक) रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रोटरी इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरुवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) आशाकिरण एसोसिएशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स, कोझिकोड, केरल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आशाकिरण एसोसिएशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स, कोझिकोड, केरल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) (एक) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रेपको बैंक लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) (एक) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) (एक) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स फेडरेशन, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

5. विधेयकों पर अनुमति

(i) महासचिव ने 22 जुलाई, 2025 को सभा में पिछली बार प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के पश्चात अठारहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयक सभा पटल पर रखे:-

- 1) मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
- 2) मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2025
- 3) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2025
- 4) आयकर विधेयक, 2025

(ii) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त तथा महासचिव, राज्य सभा द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित निम्नलिखित 11 विधेयकों की प्रतियां सभा पटल पर रखीं:-

- 5) वहन-पत्र विधेयक, 2025;
- 6) समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2025;
- 7) तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2025;
- 8) गोवा राज्य, सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनःसमायोजन विधेयक, 2025;
- 9) वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2025;
- 10) राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025;
- 11) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक, 2025;
- 12) भारतीय पत्तन विधेयक, 2025;
- (13) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025;
- (14) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025; और
- (15) ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025.

अपराहन 12.04 बजे

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के प्रतिवेदन

डॉ. निशिकान्त दुबे ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'नए युग में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का प्रभाव' तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित विषय 'फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने वाले तंत्र की समीक्षा' विषयों पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के क्रमशः इक्कीसवें और बाईसवें प्रतिवेदनों *(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत किया।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (एक) 'राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की कार्यनिष्पादन समीक्षा' विषय पर सत्ताईसवां प्रतिवेदन; और
- (दो) 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कार्यक्रम की समीक्षा और उभरते मुद्दे' विषय पर अठ्ठाईसवां प्रतिवेदन।

9. रबड़ बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जितिन प्रसाद ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया -

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4 के उपनियम (1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ड.) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन, रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)*

* प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क (1) के अंतर्गत 4 अक्टूबर, 2025 को माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किये गये, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

अपराहन 2.00 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1.	श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा बच्चों द्वारा डेक्सट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड युक्त कफ सिरप के इस्तेमाल का आकलन करने और सभी हितधारकों हेतु दिशानिर्देश बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2.	श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के अस्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खलीकोट रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवर-ब्रिज बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3.	डॉ. राजीव भारद्वाज द्वारा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4.	सुश्री कंगना रनौत द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली खराब हुई सड़कों और पुलों के पुनर्निर्माण के लिए विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5.	श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अलीराजपुर क्षेत्र के गांवों को जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कें बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6.	श्री हरीभाई पटेल द्वारा गुजरात के मेहसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऊंझा में भारतीय मसाला बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7.	श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया द्वारा गुजरात के अरावली जिले में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण और संचालन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8.	श्रीमती कमलजीत सहरावत द्वारा दिल्ली में पालम, द्वारका और आईजीआई विमानपत्तन को जोड़ने वाले द्वारका फ्लाईओवर के हिस्से पर भारी ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9.	श्रीमती डी.के. अरुणा द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10.	डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा संथाल परगना के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11.	डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी द्वारा आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई योजना में ओपीडी सेवा और अस्पताल में भर्ती उपरांत प्रदान किए जाने वाले उपचार को शामिल किए

	जाने की आवश्यकता के बारे में।
12.	श्री बलवंत बसवंत वानखड़े द्वारा महाराष्ट्र के अमरावती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत योजनाओं को लागू करने में कथित अनियमितताओं के बारे में।
13.	श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा तेलंगाना में गदावरी पुष्करालु, 2027 को आसानी से और सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14.	श्री बैन्नी बेहनन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-544 के 44.7 किमी. अंगमाली-कुंदनूर खंड के लिए 3डी अधिसूचना फिर से जारी किए जाने और इसे केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 के साथ जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
15.	श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा के रायगढ़ जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16.	श्री लालजी वर्मा द्वारा अयोध्या और नई दिल्ली के मध्य रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17.	श्री नीरज मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के आंवला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भमोरा और आंवला के मध्य समपार पर ओवरब्रिज/अंडरपास के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
18.	श्री आज़ाद कीर्ति झा द्वारा दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19.	श्री सी.एन. अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अप्रयुक्त वन भूमि पर विकासात्मक परियोजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20.	श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा मॉडल होमगार्ड विधेयक, 1965 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम/नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21.	श्रीमती शांभवी द्वारा बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक विशिष्ट कृषि गलियारा बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22.	श्री सुदामा प्रसाद द्वारा बिहार में महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थानों को विनियमित करने, सुरक्षित आजीविका के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने और मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23.	श्री राजकुमार रोट द्वारा देश में बाघ अभयारण्यों से आदिवासी लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन के बारे में।

अपराहन 2.05 बजे

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 3 दिसम्बर, 2025 के
पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 03 दिसम्बर, 2025 / 12 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 92

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने श्री काली प्रसाद पाण्डेय, आठवीं लोक सभा के सदस्य; श्री रामेश्वर डूडी, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री श्याम सुंदर लाल, छठी लोक सभा के सदस्य, के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 48 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 49 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस - आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस - आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोस इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलुरु के वर्ष

- 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रमन अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

- तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान- भारत, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्नोलॉजी इनफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

- अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (क) (एक) इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन वैक्सीन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुरुग्राम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (घ) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (इ) (एक) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिंहभूम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (च) (एक) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एरनेट इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एरनेट इंडिया, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.ए-

- 12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तों) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई(ई) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2025 जो 22 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 775(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाइक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरडीडीए), नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 56 की

उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 12 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.625(अ)में प्रकाशित हुए थे।
- (2) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.771(अ)में प्रकाशित हुए थे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 1. (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 2. (एक) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 3. (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

4. (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
5. (एक) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
6. (एक) हसन मँगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बँगलोर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) हसन मँगलोर रेल विकास कंपनी लिमिटेड, बँगलोर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
7. (एक) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
8. (एक) वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) वेबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
9. (एक) भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

10. (एक) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 11. (एक) कोंकण रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) कोंकण रेलवे विकास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 12. (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 13. (एक) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) रेलवे लाल टैरिफ (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.719 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) रेलवे लाल टैरिफ (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 22

अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.769 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय रेल (वरिष्ठ पदों हेतु चयन) नियम, 2025, जो दिनांक 7 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. 2025/सीआरबीएंडसीईओ-सीसी/04/11 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके साथ उसका शुद्धिपत्र दिनांक 19 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं.2025/सीआरबीएंडसीईओ-सीसी/04/11 (केवल अंग्रेजी संस्करण में) में प्रकाशित हुआ था।

- (3) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत रेल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2025 जो दिनांक 6 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.735(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रेलवे संरक्षण बल संशोधन नियम, 2025 जो 21 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.766(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (6) के अंतर्गत गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4688(अ) में प्रकाशित हुआ

था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) केन्द्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि लोक सभा द्वारा 1 दिसंबर, 2025को पारित मणिपुर माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) “रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित किये जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियम/विनियम आदि बनाए जाने की स्थिति” के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।
- (2) “मत्स्यपालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशासित किये जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियम/विनियम आदि बनाए जाने की स्थिति और नियमों/विनियमों

को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब” के बारे में अठ्ठाईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

7. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी.सी. मोहन ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के पैंतालीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पचासवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में चीनी उद्योग-एक समीक्षा' के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-24)के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.06 बजे

9. प्रस्ताव

श्री किरिन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 2 दिसम्बर, 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 2.03 बजे

10. नियम 377के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जंक्शन पर वंदे भारत ट्रेन के फ्लैग-ऑफ समारोह के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किए जाने के बारे में।
2. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों में अलग-अलग संगठनों के साथ शांति समझौते को पूर्णतः लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा गाड़ियों की गति सीमा को विनियमित करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री प्रवीण पटेल द्वारा टीईटी को अनिवार्य किए जाने के कारण सेवारत शिक्षकों हेतु पदोन्नति के अवसर के बारे में।
5. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा बैंकों में जमा दावा न की गई वित्तीय संपत्तियों और उनके उपयोग के बारे में।
6. श्री शशांक मणि द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया और कुशीनगर जिलों में नीलगाय (ब्लू बक) से फसलों को हुए नुकसान के बारे में।
7. श्री मनीष जायसवाल द्वारा झारखंड के हजारीबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग- कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 12.07बजे से अपराहन 2.03 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

8. श्री कंवर सिंह तंवर द्वारा अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गढ़मुक्तेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9पर बृजघाट से बाईपास रोड बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा एनिमल एम्बुलेंस स्कीम लागू किए जाने और देश के हर जिले में वेटेरिनरी हॉस्पिटल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा गुजरात के अहमदाबाद पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मणिनगर रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवर-ब्रिज/अंडरपास बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री अनुराग शर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिलों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजनाओं को लागू करने में कथित अनियमितताओं के बारे में।
12. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा 1दिसंबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक रद्द की गई झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस (12873/12874)का परिचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा पूरे देश में आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं को स्थायी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री ससिकांत सैथिल द्वारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील को एक स्थायी इको-टूरिज्म हब बनाए जाने के लिए व्यापक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.द्वारा तमिलनाडु के पलायमकोट्टई रेलवे स्टेशन पर बुनियादी रेलवे सेवा प्रदान करने के लिए निधियां का आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री जी. कुमार नाइक द्वारा कल्याण-कर्नाटक और उत्तरी राज्यों के बीच रेल संपर्क की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री राजीव राय द्वारा उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में जल जीवन मिशन के तहत योजनाओं की प्रगति और स्थिति के बारे में।
18. श्री पुष्पेंद्र सरोज द्वारा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) को सेवा-शर्त के तौर पर अनिवार्य बनाने से सेवारत शिक्षकों को हो रही समस्याओं के बारे में।
19. श्री कालिपद सरेन खेरवाल द्वारा पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत बकाया धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्रीमती सजदा अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16के बगनान लाइब्रेरी मोर हिस्से पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. थिरु थंगा तमिलसेल्वन द्वारा एक स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु से संसद सदस्य पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. डॉ. टी सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन द्वारा सोलहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 50% किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. श्री जी.एम.हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में पीएमकेवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की जमीन पर अवैध कब्जे के बारे में।
25. डॉ. राजकुमार सांगवान द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक सैनिक स्कूल और सैनिक या एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री मोहम्मद हनीफ़ा द्वारा जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली ज़ोजिला टनल परियोजना को सुरक्षित तरीके से पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.03 बजे

11. सरकारी विधेयक- पारित

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

आवंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 4 घंटे 1 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

1. डॉ. डी.पुरंदेश्वरी
2. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
3. श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल
4. प्रो. सौगत राय
5. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
6. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री अनिल यशवंत देसाई
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
11. श्री अरुण गोविल
12. श्री ससिकांत सैथिल
13. श्री सुधाकर सिंह
14. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति
15. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़
16. श्री नवासखनी के.

17. श्री रमाशंकर विद्यार्थी राजभर
18. श्री दर्शन सिंह चौधरी
19. तिरु डी. एम.कथीर आनंद
20. श्री राजा राम सिंह
21. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
22. श्री अब्दुल रशीद शेख
23. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
24. डॉ. राजेश मिश्रा
25. श्री नीरज मोर्य
26. श्री गणेश सिंह
27. श्री राजकुमार रोट
28. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खण्ड-वार विचार के लिए लिया गया।
खण्ड 2स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1,अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 4 दिसम्बर, 2025 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 04 दिसम्बर, 2025/ 13 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 93

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 68 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 69 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

- (2) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी, भिवाड़ी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र भिवाड़ी, भिवाड़ी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी, सोलन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बद्दी, सोलन के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक, रोहतक के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक, रोहतक के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र पुदुचेरी, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र सितारगंज, ऊधम सिंह नगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र इम्फाल, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र इम्फाल, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) (एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

4. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

श्री जुगल किशोर ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का क्रियान्वयन' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2025-26) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अशोक कुमार रावत ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों* की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत की:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

* प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क (1) के अंतर्गत 4 अक्टूबर, 2025 को माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किए गए, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

6. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री बसवराज बोम्मई ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन# (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'रेशम उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाएं/कार्यक्रम' के बारे में समिति के चौवनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'कपास क्षेत्र का विकास' के बारे में समिति के पचपनवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।
- (3) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।
- (4) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

ये सभी चारों प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क (1) के अंतर्गत 4 अक्टूबर, 2025 को माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किए गए, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

7. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री वरुण चौधरी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) विधायी विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के 149वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 155वां प्रतिवेदन।

- (2) न्याय विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के 147वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 156वां प्रतिवेदन।
- (3) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के 146वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 157वां प्रतिवेदन।
- (4) विधि कार्य विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के 148वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 158वां प्रतिवेदन।
- (5) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में समिति के 145वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 159वां प्रतिवेदन।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराहन 2.04* बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

*अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 2.04 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

1. श्री इटैला राजेंदर द्वारा तेलंगाना में नागार्जुन सागर सड़क के तुर्कयामजाल हिस्से पर फ्लाईओवर का निर्माण किए जाने के साथ ही बालानगर से गांधी मैसम्मा X रोड हिस्से और राजीव राहदारी रोड को राज्य राजमार्ग के रूप में संपरिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा में बीएसएनएल उपभोक्ताओं के लिए इंटर-सर्किल रोमिंग सुविधा को स्थायी रूप से सक्रिय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. डॉ. के. सुधाकर द्वारा बेंगलुरु-उपनगरीय रेलवे परिवहन प्रणाली को शीघ्र पूरा करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को समझाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के बढनी में एकीकृत चेक पोस्ट और यात्री टर्मिनल की आवश्यकता के बारे में तथा बढनी से देश के मेट्रो शहरों के लिए रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किए जाने के बारे में।
5. श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम के तहत एक खेल अकादमी और खेल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री प्रवीन खंडेलवाल द्वारा संसद सदस्यों के पत्रों पर प्रभावी प्रशासनिक अनुक्रिया हेतु एक समेकित उपागम बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में ।
7. श्रीमती देलकर कलाबेन मोहनभाई द्वारा दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव के लिए विधान सभा गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा में कैम्पा फंड के दुर्विनियोजन की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री अरविंद धर्मापुरी द्वारा तेलुगु भाषी युवाओं को विदेश में साइबर क्राइम सिंडिकेट द्वारा फर्जी नौकरी का ऑफ़र देकर फंसाए जाने और दुर्व्यापार किए जाने से बचाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित तुगलकाबाद सेक्टर-142, नोएडा मेट्रो कॉरिडोर में जैतपुर को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 'ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन' का नाम बदलकर 'गोपीगंज रेलवे स्टेशन' किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

12. श्री जय प्रकाश द्वारा हरियाणा में हिसार विमानन केंद्र/एयरपोर्ट के स्टेशन और इसके विकास के बारे में जानकारी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. श्री मणिकम टैगोर बी. द्वारा तमिलनाडु में मदुरै एयरपोर्ट को 'पॉइंट ऑफ कॉल' घोषित किए जाने तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा समयबद्ध तरीके से लंबित बीएसएनएल मोबाइल टार्वर्स और बीएसएनएल 4जी मोबाइल सेवाओं को चालू करने में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री वरुण चौधरी द्वारा एमपीलैड्स के अंतर्गत आवंटित निधि की राशि को बढ़ाए जाने तथा एमपीलैड्स पर लगाए गए जीएसटी को भी हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री मुहम्मद हमदुल्लाह सईद द्वारा वैकल्पिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था होने तक लक्षद्वीप के अगती में राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ध्वस्त किए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश में कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से जुड़े मुद्दों के बारे में।
18. श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा केंद्रीय भूजल बोर्ड में संवेदनशील पदों के लिए दिनांक 23.06.2021 की रोटेशनल स्थानांतरण नीति तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में।
19. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा पश्चिम बंगाल को मनरेगा योजना के तहत लंबित निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री ईश्वरस्वामी के. द्वारा जेनेरिक दवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य वहनीय दरों पर निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोपालगंज जिले में सबेया हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं का परिचालन शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा महाराष्ट्र में नासिक रोड और सीएसएमटी, मुंबई के बीच ईएमयू/एमईएमयू /लोकल रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

23. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे द्वारा हरितकी (हिरदा) फसल पर एमएसपी का प्रावधान फिर से बहाल किए जाने तथा महाराष्ट्र के खेड़, अम्बेगांव और जुन्नार में आदिवासियों की विभिन्न समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा तमिलनाडु के सिरुमलाई और कोडैकनाल समेत देश के पहाड़ी इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) अथवा फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) बिछाकर प्रभावी बीएसएनएल कनेक्टिविटी की आवश्यकता के बारे में।
25. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल द्वारा पंजाब राज्य में बाढ़ से हुई तबाही के पश्चात राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए पंजाब को निधियाँ जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के पूर्णिया में जीएमसीएच में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.04 बजे

10. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

आवंटित समय: 6 घंटे

लिया गया समय: 3 घंटे 56 मिनट

शेष समय: 2 घंटे 04 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

1. श्री वरुण चौधरी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री वीरेन्द्र सिंह
4. प्रो. सौगत राय
5. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन
6. डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव
8. श्री संजय उत्तमराव देशमुख
9. श्रीमती सुप्रिया सुले

10. श्री नरेश गणपत म्हस्के
 11. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन
 12. श्रीमती भारती पारधी
 13. श्री राजीव राय
 14. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी
 15. श्री सुधाकर सिंह
 16. श्री सचिदानन्दम आर.
 17. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
 18. श्री मियां अल्ताफ अहमद
 19. श्री मलविंदर सिंह कंग
 20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद
 21. डॉ. सी. एन. मंजूनाथ
 22. श्री सुब्बारायण के.
 23. डॉ. राजकुमार सांगवान
 24. श्री राजा राम सिंह
 25. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
 26. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास
 27. श्री आनंद भदौरिया
 28. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
 29. एडवोकेट चन्द्र शेखर
 30. श्री रामप्रीत मंडल
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

*(लोक सभा शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2025 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 05 दिसम्बर, 2025/14 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 94

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 84 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.31 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00

बजे पुनः समवेत हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 85 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) नैदानिक स्थापन (केन्द्रीय सरकार) संशोधन नियम, 2020 जो दिनांक 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 115 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नैदानिक स्थापन (केन्द्रीय सरकार) संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 21 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषधि (दूसरा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 18 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.554(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई की वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हावड़ा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कांचीपुरम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 2025 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी दिनांक 9 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ.4082(अ), जिसके द्वारा 10 सितम्बर, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (3) (एक) चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (तीन) चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (दो) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, मुरगांव के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) (एक) मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (चार) मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओ की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) (एक) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
(दो) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
(चार) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 27 सितंबर, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 34में प्रकाशित हुए थे।
(दो) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 27 सितंबर, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 35 में प्रकाशित हुए थे।
(तीन) रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वाहन ऑपरेटर 'ड.' गुप 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 26 जुलाई, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 21 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) यंत्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यंत्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकारद्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ज) (एक) डूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) डूप कम्फर्ट्स लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
(दो) आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
(एक) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
(दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(छह) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(सात) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(5) (एक) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, दिरांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) अधिसूचना संख्या का.नि.आ.20(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा आयोजित परीक्षा या भर्ती परीक्षा के पंजीकरण और विभिन्न चरणों के समय अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणीकरण करेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि लोक सभा द्वारा 03 दिसंबर, 2025 को पारित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।
- (3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा संपदा संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, पूर्व सैनिक कल्याण एवं रक्षा पेंशन' (मांग संख्या 19 और 22) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) 'थल सेना, नौसेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ और पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (मांग संख्या 20 और 21) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) 'रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, खरीद नीति और रक्षा योजना' (मांग संख्या 21) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (4) रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं)- नए डीपीएसयूज और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन' (मांग संख्या 20 और 21) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

7. संसदीय कार्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने 08 दिसम्बर, 2025 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.05• बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री टी.आर. बालू ने तमिलनाडु के थिरुपरनकुंड्रम मंदिर में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा कथित सांप्रदायिक झड़प के संबंध में निवेदन किया।

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका सहयोजित हुए।

#श्री किरण रिजिजू और \$डॉ. एल मुरुगन ने उत्तर दिया।

* अपराहन 12.05 बजे से 2.56 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

\$ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

अपराहन 2.56 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नाथद्वारा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना तथा चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के संबंध में।
2. श्री दुलु महतो द्वारा झारखंड के धनबाद में रांची-राजगंज मार्ग पर लिलोरी समपार पर फ्लाईओवर निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री जनार्दन सिंह सिंगीवाल द्वारा बिहार राज्य में, विशेषकर महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, भारी वर्षा से जिन किसानों की फसल खराब हुई उनको वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने आवश्यकता के बारे में।
4. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में कटक और भुवनेश्वर के बीच एनएच-16 पर पलासनी स्थित पुल के समानांतर नया बहु-लेन पुल बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा राजस्थान के जलगाँव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गिरना नदी पर पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण पुल की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा उत्तर-पश्चिम दिल्ली में जलाशयों तथा सामुदायिक केंद्रों का पुनर्विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री राजेंद्र सिंह राव द्वारा भूजल में यूरेनियम के बढ़ते स्तर के चलते यूरेनियम युक्त मां के दूध का सेवन करने वाले नवजात शिशुओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न होने के बारे में।
8. श्री चिंतामणि महाराज द्वारा छत्तीसगढ़ में ट्रॉमा सेंटर्स के उन्नयन की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा अलीराजपुर-खरगोन-खंडवा नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री आनंद कुमार द्वारा देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के बहराइच में, वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँवों के समग्र विकास हेतु नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. डॉ. शशि थरूर द्वारा पूर्व मिलिटरी नर्सिंग सर्विस (एमएनएस) के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश द्वारा महाराष्ट्र के नासिक एवं धुले जिलों में साई (एसएआई) प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने आवश्यकता के बारे में।

13. डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा बिहार के किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र के निर्माण कार्य हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किए जाने तथा संस्थान में स्वीकृत पदों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा तमिलनाडु के गुडियत्तम रेलवे स्टेशन पर विभिन्न एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोंडापल्ली रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने आवश्यकता के बारे में।
16. श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शीश गंज साहिब रेलवे स्टेशन तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर रेलवे स्टेशन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र तथा अन्य स्वायत्त जिला परिषदों को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा अरावली क्षेत्र के संरक्षण हेतु विशेष नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.57 बजे

10. सरकारी विधेयक - पारित

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025

आवंटित समय: 6 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 22 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 4 दिसंबर, 2025 को विधेयक पर विचार किए जाने हेतु पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी:-

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

1. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल
2. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री किशोरी लाल
5. श्री ससिकांत सैथिल

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 तथा 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 से 13 स्वीकृत हुए।

खंड 14 और 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 से 23 स्वीकृत हुए।

खंड 24 स्वीकृत हुआ।

खंड 25 स्वीकृत हुआ।

खंड 26 से 28 स्वीकृत हुए।

खंड 29 से 33 स्वीकृत हुए।

खंड 34 से 39 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची तथा दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 4.23 बजे

11. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

1. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, संसद सदस्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
2. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
3. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 243छ का संशोधन, आदि)
4. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश, संसद सदस्य का स्वास्थ्य परिचर्या वृत्तिक और नैदानिक स्थापन (हिंसा निवारण) विधेयक, 2025
5. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का गौ संरक्षण विधेयक, 2025
6. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का पवित्र शहर देवघर (सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण) विधेयक, 2025
7. डॉ. निशिकान्त दुबे, संसद सदस्य का बांधों, जलाशयों और नदियों का अनिवार्य आवधिक गाद निष्कासन विधेयक, 2025
8. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य का अनाथ बालक (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) विधेयक, 2025
9. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य का घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025(धारा 5 और 9 का संशोधन)
10. श्रीमती स्मिता उदय वाघ, संसद सदस्य का महिला कार्यबल (समर्थन और कल्याण) विधेयक 2025
11. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का पितृत्व और माता-पिता हितलाभ विधेयक, 2025
12. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का संपर्क-विच्छेद का अधिकार विधेयक, 2025
13. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
14. श्री अरविंद गणपत सावंत, संसद सदस्य का विदेशी मुद्रा प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2025(धारा 36 का संशोधन,आदि)
15. श्री अरविंद गणपत सावंत, संसद सदस्य का धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 49 का संशोधन,आदि)
16. श्री अरविंद गणपत सावंत, संसद सदस्य का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
17. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
18. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का सरीसृप दंश (रोकथाम और उपचार) और सरीसृप संरक्षण विधेयक, 2025
19. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2024(नई धारा 3क का अंतःस्थापन)
20. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य का किसान का कृषि उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति अधिकार विधेयक, 2024

21. एडवोकेट चन्द्र शेखर आज़ाद, संसद सदस्य का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार और जातिगत भेदभाव के मामलों कापता लगाने और रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय आयोग विधेयक, 2024
22. श्री मणिकम टैगोर बी, संसद सदस्य का विरुधुनगर में खेल अवसंरचना संस्थापन विधेयक, 2024
23. श्री मणिकम टैगोर बी., संसद सदस्य का विशेष आर्थिक ज़ोन (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
24. श्री मणिकम टैगोर बी. , संसद सदस्य का तमिलनाडु राज्य के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) छूट विधेयक, 2024
25. डॉ. जयंतकुमार राय, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
26. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य का ओडिशा राज्य के केबीके क्षेत्र को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
27. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (अनुसूची का संशोधन)
28. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
29. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का पंजाब नगर निगम कानून (चंडीगढ़ तक विस्तार) संशोधन विधेयक, 2025(अनुसूची का संशोधन)
30. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (दसवीं अनुसूची का संशोधन)
31. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 13 का संशोधन)
32. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुनर्गठन आयोग विधेयक, 2024
33. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का भारतीय न्याय संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 63 का संशोधन)
34. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
35. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का रेल (संशोधन) विधेयक, 2024(नई धारा 24क का अंतःस्थापन)
36. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का रेल (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 24क का अंतःस्थापन)
37. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2024(नई धारा 106क का अंतःस्थापन, आदि)
38. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, संसद सदस्य का महाराष्ट्र केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024
39. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, संसद सदस्य का तटीय पर्यटन विकास बोर्ड विधेयक, 2024
40. डॉ. हेमंत विष्णु सवरा, संसद सदस्य का महाराष्ट्र राज्य में जल निकायों के विकास और संरक्षण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
41. श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि, संसद सदस्य मृत्युदंड (उन्मूलन) विधेयक, 2025

42. श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि, संसद सदस्य का जलवायु परिवर्तन (शमन एवं अनुकूलन) विधेयक, 2025
43. श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि, संसद सदस्य का नमक कामगार (कल्याण) विधेयक, 2025
44. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का स्तन कैंसर (जागरूकता) विधेयक, 2024
45. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
46. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का घरेलू कर्मकार (रोजगार और कार्य की शर्तों का विनियमन) विधेयक, 2024
47. श्री लुम्बा राम, संसद सदस्य का स्वदेशी गौ और गौ-संतति संरक्षण बोर्ड विधेयक, 2024
48. श्री लुम्बा राम, संसद सदस्य का चारा भांडागार बोर्ड विधेयक, 2025
49. श्री लुम्बा राम, संसद सदस्य का दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य) विधेयक, 2025
50. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन)
51. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 15 का संशोधन, आदि)
52. सुश्री एस. जोतिमणि, संसद सदस्य का राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 14 का संशोधन, आदि)
53. डॉ. बायरेड्डी शबरी, संसद सदस्य का केंद्रीय कैंसर जांच एवं रोकथाम संस्थान विधेयक, 2024
54. डॉ. बायरेड्डी शबरी, संसद सदस्य संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुसूची का संशोधन)
55. डॉ. धर्मवीर गांधी, संसद सदस्य का सिख विवाह विधेयक, 2024
56. डॉ. धर्मवीर गांधी, संसद सदस्य का स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 1 का संशोधन, आदि)
57. श्री दामोदर अग्रवाल, संसद सदस्य का राजस्थान राज्य में वृक्षों के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
58. श्री दामोदर अग्रवाल, संसद सदस्य का हिंदू धार्मिक उपासना स्थल (पशुवध, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध) विधेयक, 2024
59. श्री दामोदर अग्रवाल, संसद सदस्य का राजस्थान में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
60. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का शरणार्थियों को वैध शरण विधेयक, 2024
61. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का मवेशी वध रोकथाम व संरक्षण विधेयक, 2024
62. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का दिव्यांग बालक (कल्याण) विधेयक, 2024
63. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का डीपफेक विनियमन विधेयक, 2024
64. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रतिरोध और प्राकृतिक आपदा पीड़ितकल्याण बोर्ड विधेयक, 2024

65. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का गौ कल्याण एवं संरक्षण विधेयक, 2024
66. डॉ. कडियम काव्य, संसद सदस्य का ऋतुस्त्राव प्रसुविधा विधेयक, 2024
67. डॉ. कडियम काव्य, संसद सदस्य का परित्यक्त विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक, 2025
68. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 31क का संशोधन)
69. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 और 3 का संशोधन)
70. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) संशोधन विधेयक, 2025 (धारा 3 का संशोधन)
71. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024(धारा 12 का संशोधन)
72. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का यातना निवारण विधेयक, 2024
73. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय हरित अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024(धारा 15 का संशोधन, आदि)
74. श्री आनंद भदौरिया, संसद सदस्य का आवारा पशु नियंत्रण विधेयक, 2024
75. श्री आनंद भदौरिया, संसद सदस्य का बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2025
76. डॉ. के. सुधाकर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय पुष्पकृषि बोर्ड विधेयक, 2024
77. डॉ. के. सुधाकर, संसद सदस्य का डेयरी किसान (कल्याण) विधेयक, 2024
78. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य का बाल-विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2025(धारा 2 का संशोधन,आदि)
79. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य का काश्तकार किसानों के अधिकार विधेयक, 2025
80. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य का सब्जी उत्पाद (लाभकारी समर्थन मूल्य और बीमा) विधेयक, 2024
81. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य का भगवान बिरसा मुंडा जन्म स्थान उलिहातु राष्ट्रीय स्मारक विधेयक, 2024
82. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
83. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का अवसंरचना परियोजना (निगरानी एवं प्रबंधन) बोर्ड विधेयक, 2024
84. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 9 का संशोधन, आदि)
85. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
86. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिबालकर, संसद सदस्य का अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
87. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, संसद सदस्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त(नियुक्ति, सेवा शर्तें तथा पदावधि) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 5 का संशोधन, आदि)

88. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, संसद सदस्य का पत्रकार (हिंसा निवारण एवं संरक्षण) विधेयक, 2024
89. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील, संसद सदस्य का वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
90. एडवोकेट गोवाल के. पाडवी, संसद सदस्य का उच्चशिक्षा स्कूल, स्नातक स्कूल और विश्वविद्यालय (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), विधेयक 2024
91. एडवोकेट गोवाल के. पाडवी, संसद सदस्य का अनुसूचित जनजाति घटक (वित्तीय संसाधनों की योजना, आवंटन और उपयोग) विधेयक, 2024
92. सुश्री इकरा चौधरी, संसद सदस्य का सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का सरकारी विद्यालयों में नामांकन (संप्रवर्तन) विधेयक, 2024
93. श्री राव राजेन्द्र सिंह, संसद सदस्य का राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल नागरिक वर्ग आयोग विधेयक, 2025
94. श्री राव राजेन्द्र सिंह, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 (प्रस्तावना का संशोधन, आदि)
95. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
96. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
97. श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
98. श्री पुट्टा महेश कुमार, संसद सदस्य का गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो विधेयक 2025
99. श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य का सांस्कृतिक मानचित्रण विधेयक, 2024
100. श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य का किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2025 (धारा 14 का संशोधन, आदि)
101. श्री मनोज तिवारी, संसद सदस्य का विद्यालयों में अनिवार्य योग अभ्यास विधेयक, 2025
102. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, संसद सदस्य का महाराष्ट्र राज्य में जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2024
103. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय जल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024
104. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर, संसद सदस्य का स्वच्छता कर्मचारी संरक्षण एवं कल्याण विधेयक, 2024
105. श्री राजीव राय, संसद सदस्य का पारंपरिक बुनकर (संरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2024
106. श्री राजीव राय, संसद सदस्य का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2024 (नई धारा 3क का अंतःस्थापन)
107. श्री राजीव राय, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
108. श्रीमती शांभवी, संसद सदस्य का माहवारी अवकाश एवं स्वच्छता विधेयक, 2024
109. श्रीमती शांभवी, संसद सदस्य का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2024(धारा 11 का संशोधन, आदि)
110. श्रीमती शांभवी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 (धारा 10 का संशोधन)

111. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य का निजीक्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, विमुक्त जनजातियों और अर्ध-घुमंतू समुदायों के लिए आरक्षण विधेयक, 2024
112. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य का सर्वोच्च न्यायालय (कार्यवाही में हिंदी का प्रयोग और अन्य उपबंध) विधेयक, 2024
113. श्री अरुण भारती, संसद सदस्य का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण तथा समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को भरना) विधेयक, 2024
114. श्री अरुण भारती, संसद सदस्य का पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2024 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
115. श्री अरुण भारती, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025(नए अनुच्छेद 338ग का अंतःस्थापन)
116. श्रीमती भारती पारधी, संसद सदस्य का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
117. श्रीमती भारती पारधी, संसद सदस्य का बीमा (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
118. श्रीमती भारती पारधी, संसद सदस्य का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (नैतिकता एवं उत्तरदायित्व) विधेयक, 2025
119. श्री रमाशंकर राजभर, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2025(अनुसूची का संशोधन)
120. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य का नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
121. श्री राजकुमार रोट, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
122. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति, संसद सदस्य का उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025(धारा 2 का संशोधन)
123. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति, संसद सदस्य का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
124. श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 (नई धारा 126क का अंतःस्थापन)
125. श्री धर्मेन्द्र यादव, संसद सदस्य का निजी क्षेत्र की सेवाओं और नियुक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक, 2025
126. श्री धर्मेन्द्र यादव, संसद सदस्य का निजी शैक्षणिक संस्थानों (सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त) में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण विधेयक, 2025
127. श्री कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025 (नए अनुच्छेद 371क का अंतःस्थापन)
128. श्री राजू बिष्ट, संसद सदस्य का पारिस्थितिकी पर्यटन संवर्धन विधेयक, 2025
129. श्री राजू बिष्ट, संसद सदस्य का सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन (संशोधन) विधेयक, 2025(धारा 2 का संशोधन,आदि)
130. श्री परषोत्तमभाई रूपाला, संसद सदस्य का राष्ट्रीय रक्त आधान विधेयक, 2025

131. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी, संसद सदस्य का मोटरवाहन (संशोधन) विधेयक, 2025(धारा 134क का संशोधन,आदि)
132. श्री दर्शन सिंह चौधरी, संसद सदस्य का प्राकृतिक कृषि संवर्धन विधेयक, 2025
133. श्री दर्शन सिंह चौधरी, संसद सदस्य का पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2025 (धारा 2 का संशोधन,आदि)
134. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले, संसद सदस्य का चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को हमले, आपराधिक बल और धमकी से सुरक्षा विधेयक, 2025
135. श्री बलवंत बसवंत वानखडे, संसद सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य देखभाल (संशोधन) विधेयक, 2025(नई धारा 31क का अंतःस्थापन, आदि)
136. श्री अमरसिंग टिस्तो, संसद सदस्य का असम पुनर्गठन (कार्बी दिमांचल) विधेयक, 2025
137. श्री अनूप संजय धोत्रे, संसद सदस्य का प्राकृतिक रेशा उपयोग संवर्धन विधेयक, 2025

सायं 6.05 बजे

*(लोक सभा सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)*

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 08 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 95

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 107 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 108 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ड. की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -
 - (एक) संरक्षित स्मारक "झांसी किला, तहसील और जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।
 - (दो) संरक्षित स्मारक "शेर शाह का मकबरा प्लॉट संख्या 81 (1929-30 में सर्वे किया गया), टैंक प्लॉट संख्या 82 (1929-30 में सर्वे किया गया), इसकी दीवारें प्लॉट संख्या 76, 83 और 85 (1929-30 में सर्वे किया गया); घाट (प्लॉट संख्या 73) (1929-30 में सर्वे किया गया), उत्तरी गेटवे और काँजवे के किनारे कियोस्क (प्लॉट संख्या 78, 79 और 80) (1929-30 में सर्वे किया गया); शेर शाह के मकबरे के पश्चिम में गेटवे (दिल्ली दरवाज़ा) जिसके चारों ओर 23 फीट जगह है (गांव करपुरवा का प्लॉट संख्या 404, थाना संख्या 127 कैडस्ट्रल सर्वे 1911-12), सासाराम थाना संख्या 125, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार" का राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।
 - (तीन) संरक्षित स्मारक "महरौली, दिल्ली में जहाज महल" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

- (चार) संरक्षित स्मारक "रेजीडेंसी रोड पर नील गेट तथा बेगम हजरत महल पार्क, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में विक्टोरिया मेमोरियल" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम 2025।
- (पांच) संरक्षित स्मारकों "प्राचीन मंदिरों का एक समूह जिसमें शिव का मुख्य मंदिर और सत्रह सहायक मंदिर हैं, बैजनाथ या वैद्यनाथ, कत्यू, परगना दानपुर, तहसील और जिला अल्मोड़ा (वर्तमान में तहसील - गरूड़, जिला - बागेश्वर), उत्तराखंड" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।
- (छह) संरक्षित स्मारक "कानपुर जिले में बिठूर में टीला, बिठूर, जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।
- (सात) संरक्षित स्मारक "खंब बाबा (हेलिओडोरस स्तंभ) विदिशा, जिला-विदिशा, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।
- (आठ) संरक्षित स्मारक "कट्टाकम्पल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उपनियम, 2025।
- (नौ) संरक्षित स्मारक "एय्याल की दफन गुफा, जिला त्रिशूर, केरल" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।
- (दस) संरक्षित स्मारक- "लोहांगी हिल कैपिटल, विदिशा, मध्य प्रदेश" के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2025।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स), ओडिशा, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राज्यों के लिए शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (स्टार्स), ओडिशा, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) समग्र शिक्षा मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) समग्र शिक्षा मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल एस्टेट निवेश न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/258 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/259 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अर्हताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/264 में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुकाल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां) (दूसरा संशोधन) रेगुलेशन, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/265 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन और इनकी सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/268 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/271 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पास्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/272 में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/260 प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/262 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विनिधानकर्ता निवेशक और शिक्षा निधि) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/256(ई) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/216 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) (संशोधन) विनियम, 2022 जो दिनांक 22 अगस्त, 2022 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/94 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/263 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विनिधान (निवेश) सलाहकार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 25 नवम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/278 में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 25 नवम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/277 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (ग्यारह) और (बारह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/275 में प्रकाशित हुए थे।
- (4) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।
- (दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भारतीय जीवन बीमा निगम, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2025 के अनुसार पचपनवें मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि.847(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय गन्ने के सीरा (एचएस 1703 10 00) पर 50% निर्यात शुल्क हटाने और कच्चे जैतून के पाम ऑयल (एचएस 1510 10 00) पर बीसीडी को 35% से घटाकर 15% करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 584 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 561 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि.643(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि.644(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 19/2019-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि.645(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 9 मई, 2025 की अधिसूचना संख्या 29/2025-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) सा.का.नि.717(अ) जो दिनांक 25 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) सा.का.नि.728(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत-ईएफटीए (स्विट्जरलैंड) के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों की पहली किश्त को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि.798(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद बिल ऑफ़ लैंडिंग के अंतर्गत आने वाले आयात पर पीली मटर (एचएस 0713 10 10) पर 30% शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (नौ) सा.का.नि.729(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत ईएफटीए (नॉर्वे) के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों की पहली किश्त को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि.730(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत ईएफटीए (आइसलैंड) के अंतर्गत प्रशुल्क रियायतों की पहली किश्त को प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि.799(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या 64/2023-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) सा.का.नि.781(अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मौजूदा सीमा शुल्क छूट अधिसूचनाओं को एक अधिसूचना में विलय करने करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेरह) सा.का.नि.782(अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एआईडीसी, स्वास्थ्य उपकर और एसडब्ल्यूएस अधिसूचना में संशोधन करना है ताकि उन्हें अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 794 (अ) जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सोने और चांदी के आभूषणों और चांदी की वस्तुओं के लिए इयूटी ड्रॉबैंक की सभी उद्योग दरों (एआईआर) के संशोधन के लिए दिनांक 20.10.2023 की अधिसूचना संख्या 77/2023-कस्टम (एनटी) में संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (8) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि.665(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंशित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि.667(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंशित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी छूट से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि.671(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो उन सेवाओं की जीएसटी श्रेणियों से संबंधित है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा, जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक

में उसके द्वारा अनुसंशित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चार) सा.का.नि.664(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंशित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि.670(अ) जो 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 14/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उन सेवाओं की श्रेणियों से संबंधित है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि.642(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017 - एकीकृत कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि.646(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017 - संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि.660(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जो 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 2/2017 - केंद्रीय कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि.661(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जो 28 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 2/2017 - एकीकृत कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.662(अ) जो 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि.647(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 3/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि.650(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 8/2018-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सा.का.नि.653(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 21/2018-केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (चौदह) सा.का.नि.656(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा अध्याय 68 और 69 के तहत कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि.648(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 3/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सोलह) सा.का.नि.651(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 9/2018-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन। ।
- (सत्रह) सा.का.नि.654(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 22/2018-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (अठारह) सा.का.नि.657(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा अध्याय 68 और 69 के तहत कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (उन्नीस) सा.का.नि.649(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 3/2017 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बीस) सा.का.नि.652(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 25 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 8/2018 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (इक्कीस) सा.का.नि.655(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2018 की अधिसूचना संख्या 21/2018 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बाईस) सा.का.नि.658(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा अध्याय 68 और 69 के तहत कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तेईस) सा.का.नि.663(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 11/2017 - केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुसंशित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौबीस) सा.का.नि.666(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 12/2017 - केंद्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं जो 03.09.2025 को आयोजित

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा अनुशंसित सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी छूट से संबंधित है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (पच्चीस) सा.का.नि.669(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं जो 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में उसके द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उन सेवाओं की श्रेणियों से संबंधित है जिन पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कर का भुगतान किया जाएगा तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छब्बीस) सा.का.नि.784(अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय इसे अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित करना है, ताकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 27/2018-एकीकृत कर (दर) में परिणामी संशोधन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सत्ताईस) सा.का.नि.786(अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय इसे अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित करना है, ताकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 26/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में परिणामी संशोधन किया जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (अट्ठाईस) सा.का.नि.641(अ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय दिनांक 28 जून, 2017 के अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) का अधिक्रमण करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (उनतीस) सा.का.नि.783(अ) जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय इसे अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क के साथ संरेखित करना है, ताकि दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 26/2018-केन्द्रीय कर (दर) में परिणामी संशोधन किए जा सकें तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (9) माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि.659(अ), जो दिनांक 17 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (10) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सा.का.नि.562(अ) जो दिनांक 19 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजीटीआर के अनुरोध पर यूरोपीय संघ और सऊदी अरब में उद्भूत या वहां से आयातित 'टोल्यूनि डिस्सोसायनेट (टीडीआई)' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क 1 मार्च, 2026 तक 3 माह की अवधि के लिए बढ़ाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि.563(अ) जो दिनांक 19 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत या वहां से आयातित 'फ्लोरोएल्सास्टोमर्स (एफकेएम)' के आयात पर 26 फरवरी, 2026

तक 3 महीने की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा.का.नि.793(अ) जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित 'अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क के मामले में दिनांक 11.11.2021 की अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) में संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि.827(अ) जो दिनांक 7 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी समापन समीक्षा के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और हांगकांग में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री वाले फ्लैक्स या लिनन फैब्रिक" पर प्रतिपाटन शुल्क 5 वर्ष की अवधि तक लगाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि.836(अ) जो दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में वियतनाम में उद्भूत या वहाँ से निर्यातित "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि.851(अ) जो दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिशों पर चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, ताइवान और थाईलैंड में उद्भूत या वहाँ से आयातित लिक्विड इपॉक्सी रेजिन' के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (11) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ.एचआरओपीएस:117:2567(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) बैंक ऑफ़ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 18 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ.टीबीडी:25-26:235(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एएक्स 1/एसटी/ओएसआर/120/2025-26 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केनरा बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआर एंड पीआरडब्ल्यू आईआरवी आईआरएंडपीएस 228ए पीपी 1543 2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 17 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सीओ.एचसीएम:आरबीडी:2025-26:621(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीईएन/01/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) इंडियन ओवरसीज बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचआरएमडी/पीईएन/001/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) पंजाब नेशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ: पेंशन/विविध/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) पंजाब एंड सिंध बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 12 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. पीएसबी/पीईएन/अमेंड/1/2025(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) यूको बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचओ/पीएसडी/पीईएन/2025-26/147(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2025 जो 20 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. यूबीआई एचआर 19048(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (12) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/05/01/0025/2017- एचआर में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 जो 16 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालिंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.06.2025 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालिंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.06.2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालिंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.09.2025 को समाप्त हुई तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (वालिंटरी वाइंडिंग अप ऑफ आईआईबीआई टू द इक्विटी शेयरहोल्डर्स ऑफ आईआईबीआई), कोलकाता की 30.09.2025 को समाप्त हुई तिमाही के लिए परिसमापक की रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (24) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 तथा प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2025 जो 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/257 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 जो 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/261 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) (संशोधन) विनियम, 2025 जो 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/269 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2025/270 में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो 21 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/276 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पांचवां संशोधन) विनियम, 2025 जो 18 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2025/273 में प्रकाशित हुए थे।
- (25) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत सीमा शुल्क टैरिफ (भारत और आईएफटीए देशों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी करार के अंतर्गत माल के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2025 जो दिनांक 30 सितम्बर 2025 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि.725(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.4920(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14कग के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त में निहित शक्तियों को संबद्ध अंचल/क्षेत्र/जिला कार्यालय की अधिकारिता वाले अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों द्वारा भी प्रयोग किए जाने को प्राधिकृत किया गया है।
- (दो) कर्मचारी (पेंशन) संशोधन स्कीम, 2025 जो दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.791(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (तीन) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2025 जो दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.792(अ) में प्रकाशित हुई थी।

- (चार) का.आ.4921(अ) जो दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, उन अधिकारियों को भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत नियोक्ताओं से शास्ति के रूप में ऐसी नुकसानी वसूल करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
- (पाँच) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2025 जो दिनांक 10 अक्टूबर 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.749(अ) में प्रकाशित हुई थी।
- (2) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन, नियम 2024 जो भारत के राजपत्र में दिनांक 26 फरवरी 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.134(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या फा.सं. एन-12011/1/2023-पीएंडडी जो भारत के राजपत्र में दिनांक 28 अप्रैल 2025 को प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 01.07.2024 से 30.06.2026 की अवधि के लिए शिथिल पात्रता शर्तों तथा वर्धित राहत दर सहित बढ़ाने के निर्णय को अधिसूचित किया गया है।
- (4) उपर्युक्त मद संख्या (2) और (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.4685(अ), जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में रूपी भाबा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर शून्य किलोमीटर से लेकर 3.45 किलोमीटर तक के क्षेत्र को रूपी भाबा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में अधिसूचित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 10 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 612(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधन नियम, 2025, जो दिनांक 31 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 593(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

- (एक) सा.का.नि. 703(अ), जो 22 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा दिनांक 17 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 849(अ) में प्रकाशित उसका एक शुद्धिपत्र, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 25 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 104/45/लेखा-1-(क)प्रस्तावना में प्रकाशित हुए थे।
- (2) चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो दिनांक 1 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1-सीए(5)/76/2025 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए काउंसिल ऑफ कॉस्ट एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, जो दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.जी/20-सीडब्ल्यूए/9/2025 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 549 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 26 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 579 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 603 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 3 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 811 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 की उपधारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.3528(अ), जो दिनांक 30 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एक कंपनी अर्थात् श्री नारायणी (कुंभकोणम) निधि लिमिटेड (सीआईएन: U74999TN2017PLN120244) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एनओ 41/41-ए, श्री नारायणी अनुग्रह, गांधी पार्क उत्तर (सारंगापानी पूर्व वडमपोक्की स्ट्रीट), कुंभकोणम, तमिलनाडु 612001 में है, को एक "निधि" के रूप में घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

4. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने 'देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन' विषय पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (अठारहवीं लोक सभा) का दसवां प्रतिवेदन * (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

(1) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

6. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव राय ने शिक्षा मंत्रालय से संबंधित उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन 'स्वायत्त निकायों और संस्थाओं- एनटीए, एनएएसी, प्रारूप यूजीसी विनियम, आईसीएचआर, आईसीपीआर, आईसीएसएसआर, आईआईएस (शिमला) और ऑरोविल फाउंडेशन की समीक्षा' के बारे में 371वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

* लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश सं 71 क(1) के अधीन 4 अक्टूबर, 2025 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया और माननीय अध्यक्ष ने लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत रिपोर्ट के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

7. वित्त संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री भर्तृहरि महताब ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का चौदहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का पंद्रहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का सोलहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (4) योजना मंत्रालय (नीति आयोग) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का सत्रहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का अठारहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

8. प्राक्कलन समिति के विवरण

श्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्राक्कलन समिति (2025-26) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित 'सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास का कार्यान्वयन - एक समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) के कार्य निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर दूसरे की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के तहत हरित राजमार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं का मूल्यांकन' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के तैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर तीसरे की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (अठारहवीं

लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) रेल मंत्रालय से संबंधित 'अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के पैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर चौथे की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना के माध्यम से सशक्तिकरण और रुग्ण वस्त्र इकाइयों/पीएसयू (बीआईसी, एनटीसी, सीटीएल आदि के लिए पुनरुद्धार प्रयास' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर पांचवें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

***9. नियम 377 के अधीन मामले**

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. सुश्री कंगना रनौत द्वारा हिमाचल प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में मातृ एवं किशोर स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में ।
2. श्री इटैला राजेंदर द्वारा तेलंगाना के मल्काजगिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दक्षिण भारत के लिए एक राष्ट्रीय कौशल केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री प्रवीण पटेल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुर्वेद और आयुष चिकित्सा प्रणाली को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री गणेश सिंह द्वारा सतना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा लेखा परीक्षा और समीक्षा कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिसरिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री सौमित्र खान द्वारा पश्चिम बंगाल में वोटर तालिका के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पारदर्शिता और शांति से किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्रीमती भारती पारधी द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट में 'बाघ अनुभव केंद्र' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्रीमती डी.के. अरुणा द्वारा तेलंगाना में हथकरघा बुनकरों के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराहन 12.06 बजे

9. श्री शशांक मणि द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया में पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत 250 बिस्तर वाला आधुनिक मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री अनन्त नायक द्वारा सतखुटुमिया-पटना रोड को ओडिशा के क्यॉंझर जिले के आर एंड बी प्रभाग से राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, क्यॉंझर में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल द्वारा उदयपुर के बजाय असरवा, अहमदाबाद से लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री नवीन जिंदल द्वारा हाल ही में हुए एक वैज्ञानिक अध्ययन में कथित रूप से एयरोसोल और कण उत्सर्जन के कारण हो रहे वायु प्रदूषण से देश में धूप की कमी के बारे में।
13. श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लंबित रेल परियोजनाओं में तेज़ी लाए जाने और रेल सेवा को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री ससिकांत सैथिल द्वारा श्रीलंका के जाफना क्षेत्र के चेम्मानी में हाल ही में सामूहिक कब्रों की कथित उपस्थिति की अंतरराष्ट्रीय निगरानी में जांच के लिए श्रीलंका सरकार पर दबाव डाले जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे द्वारा महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में संकाय सदस्यों की भर्ती किए जाने तथा वीसीआई और आईसीएआर के मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ द्वारा मुंबई में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री मनीश तिवारी द्वारा चंडीगढ़ के दादूमाजरा में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाने तथा कूड़े के ढेर को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. सुश्री इकरा चौधरी द्वारा संशोधित वितरण केंद्र योजना (आरडीएसएस) की नीतिगत खामियों और अनुचित कार्यान्वयन के संबंध में हस्तक्षेप के अनुरोध के बारे में।
19. श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा देश में शराब की दुकानों की संख्या कम किए जाने और सख्त शराब नीति लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्रीमती रचना बनर्जी द्वारा तेजस लड़ाकू विमान का सुरक्षा ऑडिट कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. सुश्री महुआ मोड़ना द्वारा पश्चिम बंगाल को मिलने वाली आपदा राहत राशि को शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. श्री गणपथी पी. राजकुमार द्वारा तमिलनाडु में मदुरै और कोयम्बटूर मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली द्वारा डब्ल्यूटीओ/ट्रिप्स समझौते के तहत औषधियों के क्षेत्र में अनिवार्य लाइसेंसिंग और स्वैच्छिक लाइसेंसिंग के मध्य संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री सुनील कुमार द्वारा सम्राट अशोक के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

25. श्री संजय दिना पाटील द्वारा महाराष्ट्र में मुंबई उपनगरीय रेलवे के लिए अतिरिक्त आधुनिक रेल स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री नलिन सोरेन द्वारा साहेबगंज- दुमका राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री सुधाकर सिंह द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में फंसे भारतीय चालक दल को तत्काल वापस लाए जाने और उन्हें सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए लंबित पोस्ट-मैट्रिक और अन्य छात्रवृत्तियों के केंद्रीय हिस्से को तत्काल जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.10 बजे

10. **राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा।**

उपलब्ध समय: 10 घंटे

लिया गया समय: 11 घंटे 32 मिनट

अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर टिप्पणी[§] की।

तत्पश्चात, श्री नरेन्द्र मोदी[#] ने राष्ट्रीय गीत "वंदे मातरम्" के 150 वर्ष पूरे होने के बारे में चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:

2. श्री गौरव गोगोई
3. श्री अखिलेश यादव
4. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
5. श्री राजा ए.
6. डॉ. बायरेड्डी शबरी
7. श्री देवेश चन्द्र ठाकुर
8. श्री अरविंद गणपत सावंत
9. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे
10. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
11. श्री अनुराग सिंह ठाकुर
12. श्री राजेश वर्मा
13. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड़ा

[§]मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[#] माननीय प्रधानमंत्री

14. &श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
15. श्री अभय कुमार सिन्हा
16. @श्री राजनाथ सिंह
17. श्री अवधेश प्रसाद
18. सुश्री महुआ मोड़त्रा
19. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
20. श्री बिप्लब कुमार देब
21. श्री एस. वेंकटेशन
22. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
23. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति
24. डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम
25. सुश्री बाँसुरी स्वराज
26. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
27. श्री मलविंदर सिंह कंग
28. सुश्री इकरा चौधरी
29. श्रीमती लवली आनंद
30. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास
31. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
32. श्री राजेश रंजन
33. डॉ. संबित पात्रा
34. श्री आगा सैय्यद रूहुल्लाह मेहदी
35. कॉम सेल्वाराज वी.
36. श्री कल्याण बनर्जी
37. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
38. डॉ. राजकुमार सांगवान
39. श्री राजा राम सिंह
40. श्री तटकरे सुनील दत्तात्रेय
41. श्री असादुद्दीन ओवैसी
42. एडवोकेट चन्द्र शेखर
43. श्री हनुमान बेनीवाल
44. श्री दुरई वाइको
45. श्री तेजस्वी सूर्या
46. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी
47. एडवोकेट प्रिया सरोज
48. श्री दिलेश्वर कामैत

& संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री

@ रक्षा मंत्री

49. श्री अब्दुल रशीद शेख
50. श्री राजकुमार रोट
51. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल
52. श्री जी. लक्ष्मीनारायण
53. श्री संतोष पांडेय
54. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत
55. श्री पुष्पेंद्र सरोज
56. श्री सौमित्र खान
57. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
58. श्री छोटेलाल
59. श्री निलेश जानदेव लंके
60. श्री जुगल किशोर
61. श्री आनंद भदौरिया
62. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे
63. श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह
64. श्री नीरज मौर्य
65. श्री जगदम्बिका पाल

चर्चा पूरी हुई।

माननीय अध्यक्ष ने चर्चा के समापन पर टिप्पणी^९ की।

%11. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री किरें रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति का बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रात्रि 11.42 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 9 दिसम्बर, 2025 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

^९मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

% अपराह्न 5.37 बजे

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 09 दिसम्बर, 2025/18 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 96

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 125 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 126 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के धारा 16 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -

(एक) खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 22 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3850 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) क्रॉस रिसेस्ड स्क्रू (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो दिनांक 27 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3927 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) (एक) टी बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) टी बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) टी बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित खाते।
- (दो) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित खाते।
- (दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) कार्यालय महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कार्यालय महानियंत्रक, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेत, नई दिल्ली के के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 394 के उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों के एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) सरकारी ई-बाजार (जेम), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) सरकारी ई-बाजार (जेम), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अन्तर्गत वर्ष 2023 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 19 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 567 (अ) जो दिनांक 21 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के अधिकारियों की, उसमें उल्लिखित, रासायनिक नाशकजीवमार के कीटनाशी विश्लेषकों के रूप में संपूर्ण भारत के लिए नियुक्ति के संबंध में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (द्वितीय संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 28 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 499(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (दो) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 28 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 500 (अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 30 जनवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 532(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चतुर्थ संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 10 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 678(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 25 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 976(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (छह) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (छठा संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 21 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 944(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (सात) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (सातवां संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 5 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1089(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (आठ) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1765(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (नौ) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (नौवां संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 23 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2772(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दस) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दसवां संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4641(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (ग्यारह) पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (ग्यारहवां संशोधन) आदेश, 2025 जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5047(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) छठा संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3741(अ)में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) सातवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3742(अ)में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3743(अ)में प्रकाशित हुआ था।
- (चार) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) नौवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 25 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4361(अ)में प्रकाशित हुआ था।
- (पांच) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दसवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 4441(अ)में प्रकाशित हुआ था।
- (छह) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) ग्यारहवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 6 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4533(अ)में प्रकाशित हुआ था।
- (4) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) केरल एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

- (दो) केरल एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) कर्नाटक काजू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मैंगलोर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय कोल्ड चैन विकास केंद्र, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कोल्ड चैन विकास केन्द्र, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सीमा सुरक्षा बल, योधक पैरा चिकित्सा संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 11 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 620 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल (योधक अनुसचिवीय संवर्ग), समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 28 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 586(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं के एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, तकनीकी और ट्रेड्समैन काडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 25 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 711 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, पशुचिकित्सीय संवर्ग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 16 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 638 (अ)में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (सामान्य इयूटी), सामान्य इयूटी काडर, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 802 (अ)में प्रकाशित हुए थे।
- (3) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 2, 3 और 3क के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) सा.का.नि.737(अ) जो दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन उसमें उल्लिखित अनुसूची में दर्शाई गई रीति से भारत में घोड़े अथवा अन्य अश्वों के आयात को विनियमित किया जाता है।

- (2) का.आ.5378(अ) जो दिनांक 24 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ 2666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय महिला विकास संसाधन केंद्र, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) राष्ट्रीय महिला विकास संसाधन केंद्र, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, पुरी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, पुरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारत ज्योति, कटक के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) भारत ज्योति, कटक के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) क्षेत्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र (आरआरआरसी), राउरकेला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) क्षेत्रीय पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र (आरआरआरसी), राउरकेला के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) सामाजिक एवं स्वास्थ्य विकास संगठन (एसएचईडीओ), मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सामाजिक एवं स्वास्थ्य विकास संगठन (एसएचईडीओ), मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पंजाब, पटियाला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप्ड, पंजाब, पटियाला के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) महिला समुदाय प्रबंधन समूह, ओडिशा, खोर्धा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महिला समुदाय प्रबंधन समूह, ओडिशा, खोर्धा के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकान्सट्रक्टिव एक्टिविटीस (एसआरए), कटक के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकान्सट्रक्टिव एक्टिविटीस (एसआरए), कटक के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) सेंट एन्न सोशल सर्विस सोसायटी, आंध्र प्रदेश, गुंटूर द्वारा संचालित सेंट एन्न मनोविकास केंद्र के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट एन्न सोशल सर्विस सोसायटी, आंध्र प्रदेश, गुंटूर द्वारा संचालित सेंट एन्न मनोविकास केंद्र के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लोर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) संबल समिति, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) संबल समिति, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) पायनियर डेवलपमेंट एसोसिएशन (पीडीए), इंफाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) पायनियर डेवलपमेंट एसोसिएशन (पीडीए), इंफाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर एंड लेबरर्स, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर एंड लेबरर्स, इम्फाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, राजस्थान, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) चेतना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चेतना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मेंटली हैंडीकेप्ड चिल्ड्रन, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) सूर्य किरण परेंट्स एसोसिएशन फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी मेंटली हेंडीकेप्ड चिल्ड्रन, आंध्र प्रदेश, गुंटूर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलोजिकल रिसर्च एंड हेल्थ, अमरोहा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलोजिकल रिसर्च एंड हेल्थ, अमरोहा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) अचीवमेंट ऑफ राइजिंग मैडेन, मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अचीवमेंट ऑफ राइजिंग मैडेन, मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान, उदयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नारायण सेवा संस्थान, राजस्थान, उदयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 33 के अंतर्गत जारी आप्रवास और विदेशियों विषयक (छूट) आदेश, 2025 जो दिनांक 02 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.3997(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम, 2025 की धारा 31 के अंतर्गत आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 जो दिनांक 01 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.4249(अ) जो दिनांक 22 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि चेंगलपट्टु जिला (तमिलनाडु) में स्थापित परिसर राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर के रूप में शामिल होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) नेशनल कोआपरेटिव ऑर्गनिक्स लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) वस्त्र समिति, मुंबई के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, ठाणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3043(अ) जो दिनांक 8 जुलाई, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सुश्री आर्द्रा अग्रवाल (आईएस), सचिव एवं आयुक्त, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग कार्यालय, गांधीनगर, गुजरात को इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (दो) का.आ. 3789(अ) जो दिनांक 19 अगस्त, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्रीमती सीमा सरकार

(आईएएस), वस्त्र एवं रेशम उत्पादन आयुक्त, पश्चिम बंगाल को इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(तीन) का.आ. 5218(अ) जो दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री एम. रघुनंदन राव, आईएएस, एपीसी और सरकार के सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, तेलंगाना सरकार को इस अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(14) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4501(अ) जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2025 की अधिसूचना सं. का.आ. 1830(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि लोक सभा द्वारा 05 दिसंबर, 2025 को पारित स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, भूतपूर्व सैनिक कल्याण तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (मांग सं. 19 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों संबंधी सातवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।
- (2) 'थल सेना, वायु सेना, नौ सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना तथा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों संबंधी आठवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।
- (3) 'रक्षा सेवाओं, रक्षा आयोजना, खरीद नीति और रक्षा पेंशन संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21 और 22)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों संबंधी नौवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।
- (4) 'सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21)' के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2025-26 की अनुदानों की मांगों संबंधी दसवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा)।

6. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री जयन्त बसुमतारी ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) जल शक्ति मंत्रालय- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन की समीक्षा' संबंधी सत्ताईसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

(2) जल शक्ति मंत्रालय- पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

(3) जल शक्ति मंत्रालय- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

(4) जल शक्ति मंत्रालय- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

(5) जल शक्ति मंत्रालय-जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) पर अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

7. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

- (2) 'भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2024-25)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (3) 'भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (4) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. मोहन ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवां प्रतिवेदन।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवां प्रतिवेदन।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।

9. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव राय ने उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 'उच्चतर शिक्षा में शिक्षा ऋण और वित्तीय सुगम्यता योजनाओं की समीक्षा' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 372वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'आयुष्मान भारत का क्रियान्वयन' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 151वें प्रतिवेदन और 159वें की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-2026)' के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।।
- (3) नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने "इंडिगो की सेवाओं में परिचालन व्यवधान" के संबंध में वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.14 बजे

11. प्रस्ताव

श्री किरेन रिजिजू ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

"कि यह सभा 8 दिसम्बर, 2025 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.15 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा भीलवाड़ा-लाडपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 को फोर-लेन मार्ग के रूप में उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

2. श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स इलाकों में बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा देश में अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य पर दवाइयों की कथित बिक्री के बारे में।
4. श्री अरुण गोविल द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की नदियों में गंभीर औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन करने हेतु एकीकृत पर्यटन सर्किट के माध्यम से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को जोड़ने के बारे में।
6. श्री अनुराग शर्मा द्वारा केन-बेतवा नदी लिंक परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जल बंटवारे के कोटे की व्यवस्था के बारे में।
7. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेशियों के अवैध अप्रवास को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी द्वारा कोंकण रेल मार्ग दोहरीकरण परियोजना का कार्य पूरा होने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद और चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के झालावाड़-बारां संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन के लिए स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र में मुर्तिजापुर-अचलपुर और मुर्तिजापुर-यवतमाल आमान परिवर्तन (शकुंतला रेलवे) परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा रोगी कल्याण के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीच विवादों का निपटान किए जाने के बारे में।
13. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा जलगांव के 34 आदिवासी बहुल गावों को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में छोटे चाय उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में।
15. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा भारत में आयोजित होने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए हरियाणा को सह-आयोजक के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में बाहरी क्षेत्रीय रिंग रेल लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

17. डॉ. कडियम काव्य द्वारा तेलंगाना में धान और कपास की खरीद कोटे में वृद्धि करने और उनके परिवहन के लिए अतिरिक्त गोदाम और रेक्स की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री हैबी ईडन द्वारा केरल के कोच्चि में वायु गुणवत्ता सूचकांक के अध्ययन हेतु विशेषज्ञ कार्य दल गठित किए जाने और प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री कुलदीप इंदौरा द्वारा जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नं. 12191/12192 को श्री गंगानगर तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री अवधेश प्रसाद द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य बनाए जाने हेतु हाल ही में दिए गए आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा देश भर में नकली दवाओं से निपटने के लिए 'नेशनल एंटी फेक ड्रग टास्क फोर्स' बनाए जाने के बारे में।
22. श्रीमती साजदा अहमद द्वारा पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में जूट उद्योग के पुनरुद्धार हेतु विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. तिरु थंगा तमिलसेल्वन द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग के उसिलमपट्टी-थेनी-बोदिनायक्कनूर खंड की विभिन्न बाईपास सड़क परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी द्वारा आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत जिला अस्पताल के साथ एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र में कब्जा की गई रेल भूमि को वापस पाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर एक पुनर्वास नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री अरुण भारती द्वारा बिठलपुर हवाईअड्डे को उड़ान योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री सुब्बारायण के. द्वारा देश में आशा और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक समान सेवा शर्तें सुनिश्चित किए जाने हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28. श्री सुदामा प्रसाद द्वारा बिहार में सोन नदी में हो रहे अवैध रेत खनन के बारे में।
29. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में चिन्नाक्कड़ा से एडमन तक पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 744 का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
30. श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान में आपदा प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष सहायता पात्रता 5 हेक्टेयर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.16 बजे

13. चुनाव सुधारों पर चर्चा।

उपलब्ध समय: 10 घंटे

लिया गया समय: 6 घंटे 44 मिनट

शेष समय : 3 घंटे 16 मिनट

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:

1. श्री मनीश तिवारी
2. डॉ. संजय जायसवाल
3. श्री अखिलेश यादव
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. तिरू दयानिधि मारन
6. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
7. श्री राजीव रंजन सिंह
8. श्री अनिल यशवंत देसाई
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री अरुण भारती
11. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
12. श्री अमरा राम
13. श्री अभय कुमार सिन्हा
14. श्री लालजी वर्मा
15. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी
16. श्री राहुल गांधी
17. डॉ. निशिकान्त दुबे
18. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
19. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
20. श्री अर्जुन राम मेघवाल
21. सुश्री एस. जोतिमणि
22. श्री राजीव राय
23. श्री पी. पी. चौधरी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.00 बजे

(लोक सभा बुधवार, 10 दिसम्बर, 2025 के
पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 10 दिसम्बर, 2025/ 19 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 97

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 148 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 149 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.04 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

- (दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) (एक) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरीश-चंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
- (क) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल), बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 245(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 21 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 244(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2025, जो दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 23 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 334(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 331(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दस) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 333(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 21 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 332(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पन्द्रह) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 409(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 24 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 459(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 3 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 444(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 3 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 25 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बाईस) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 25 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 15 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छब्बीस) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्ताईस) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षाधीनों की फाइनल परीक्षा) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 11 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 833(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अट्ठाईस) भारतीय पुलिस सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 604(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उनतीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 4 सितम्बर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 605(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) उपर्युक्त (10) की मद संख्या (एक से बीस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने

में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
(एक) आधार (अधिप्रमाणन किए जाने के लिए फीस का भुगतान) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.एचक्यू-13073/1/2020-ऑथ.॥भाग(1)/कंप.सं.12972(अ) में प्रकाशित हुए थे।
(दो) आधार (सूचना साझा करना) पहला संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 22 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचक्यू-16016/1/2023-ईयू-1-एचक्यू(अ) में प्रकाशित हुए थे।
(तीन) आधार (नामांकन और अद्यतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 22 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.एचक्यू-16021/2/2021-ईयू-॥-एचक्यू(अ) में प्रकाशित हुए थे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र

शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
 - (क) (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
 - (क) (एक) नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), भुवनेश्वर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स का वर्ष 2024-2025

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, संभलपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड, संभलपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) एमएनएच शक्ति लिमिटेड, संभलपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएनएच शक्ति लिमिटेड, संभलपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संभलपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), संभलपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (झ) (एक) एमजेएसजे कोल लिमिटेड, अंगुल, ओडिशा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमजेएसजे कोल लिमिटेड, ओडिशा, अंगुल का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, रांची का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सिंगरौली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ढ) (एक) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां।

- (ण) (एक) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (त) (एक) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पश्चिम बर्धमान के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पश्चिम बर्धमान का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (थ) (एक) छत्तीसगढ़ ईस्ट-वैस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) छत्तीसगढ़ ईस्ट-वैस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (द) (एक) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ध) (एक) झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, रांची के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड, रांची के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (न) (एक) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड, रायपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां।

- (प) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडेम कोलियरीज के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, कोठागुडेम कोलियरीज का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (फ) (एक) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, और उसकी सहायक कंपनियों एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएलसी इंडिया लिमिटेड, चेन्नई, और इसकी सहायक कंपनियों, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ब) (एक) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3994 (अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 के उपबंधों के प्रवृत्त होने के लिए 1 सितम्बर, 2025 की तिथि नियत की गयी है।
- (दो) का.आ.4036(अ) जो दिनांक 2 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, संस्थाओं को प्रत्यायित निजी अन्वेषण अभिकरणों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

- (तीन) का.आ. 4456(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स वाइब्रेंट टेक्नो लैब प्राइवेट लिमिटेड को प्रवर्ग 'क' अन्वेषण अभिकरण के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ.4457(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' अन्वेषण अभिकरण के अधीन मेसर्स एस एंड एस जियोलॉजिकल कंसल्टेंट्स को अधिसूचित किया गया है।
- (पाँच) का.आ.4458(अ) जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' अन्वेषण अभिकरण के अधीन मेसर्स स्टीगर जियोसाइंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है ।
- (छह) का.आ.4570(अ) जो दिनांक 7 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए भारतीय खान ब्यूरो को खनिज विनियम को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है।
- (सात) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751 (अ) जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 1989 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 786 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।
- (आठ) खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 764 (अ) में प्रकाशित किए गए थे ।
- (नौ) खनिज (नीलामी) तीसरा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776 (अ) में प्रकाशित किए गए थे ।
- (दस) का.आ.4943(अ) जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेसर्स जियोएक्सपोअर प्राइवेट लिमिटेड को 'प्रवर्ग क अन्वेषण अभिकरण' के अधीन अधिसूचित किया गया है।

- (ग्यारह) सा.का.नि. 858 (अ) जो दिनांक 20 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बारह) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.780 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 35 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सा.का.नि. 722 (अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें दिनांक 14 जुलाई, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 468(अ) का शुद्धिपत्र शामिल है, की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (5) (एक) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. वित्त संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री भर्तृहरि महताब ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार के अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, लोक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का उन्नीसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का बीसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (3) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का इक्कीसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (4) योजना मंत्रालय (नीति आयोग) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का बाईसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का तेईसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।
- (6) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) का चौबीसवां प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा)।

5. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और सरलीकरण' विषय पर कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का पंद्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री परषोत्तमभाई रूपाला ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा" विषय पर समिति के 328वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति का 331वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने अंतरिक्ष विभाग से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

संबंधी स्थायी समिति के 398वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.12 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्रीमती मालविका देवी द्वारा ओडिशा के कालाहांडी में आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. डॉ. आनंद कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश में केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा ओडिशा में बारगढ़-नुवापाड़ा नई रेल लाइन परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने और बारगढ़ और भुवनेश्वर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
4. श्री जुगल किशोर द्वारा जम्मू संसदीय क्षेत्र में रेलवे से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में ।
5. श्री खगेन मुर्मु द्वारा रक्षा और आपात आवश्यकता के लिए पश्चिम बंगाल में मालदा विमानपत्तन के पुनरुद्धार और विकास की आवश्यकता के बारे में ।
6. श्री योगेन्द्र चांदोलिया द्वारा दिल्ली में नरेला बाईपास सड़क के निर्माण हेतु बजट आवंटन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
7. श्री महेश कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय क्षेत्र में नवगठित ग्राम पंचायतों के विकास के लिए निधियां जारी किए जाने के बारे में ।
8. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा दिल्ली में वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में सभी ताप विद्युत इकाइयों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
9. श्री कैप्टन बृजेश चौटा द्वारा द्विपक्षीय विमान सेवा समझौतों के अंतर्गत मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 'प्वाइंट ऑफ कॉल' की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
10. श्री रुद्र नारायण पाणी द्वारा हावड़ा से संबलपुर के लिए यात्री गाड़ी शुरू किए जाने और इसका नाम शहीद बाजी राऊत के सम्मान में रखे जाने की आवश्यकता के बारे में ।
11. श्री जनार्दन मिश्रा द्वारा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक नवोदय विद्यालय या प्रधानमंत्री श्री विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में ।

12. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कपिलवस्तु संग्रहालय, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में पिपरहवा बौद्ध अवशेष के पुनःस्थापन के बारे में।
13. श्री विजय कुमार दुबे द्वारा कुशी नगर संसदीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में आधुनिक खेल परिसर के निर्माण के बारे में।
14. श्री रोडमल नागर द्वारा मध्य प्रदेश में इंदौर-ग्वालियर रेल मार्ग का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
15. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे द्वारा सोलापुर, महाराष्ट्र में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
16. श्री सालेंग ए. संगमा द्वारा मेघालय के तुरा संसदीय क्षेत्र में कथित रूप से अवैध खनन के बारे में ।
17. श्री राहुल कस्वां द्वारा कृषि में कीटनाशकों और रसायनों के प्रयोग के लिए नए एसओपी जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
18. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा केरल में सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सोने की कथित चोरी की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
19. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा महाराष्ट्र के नन्दुरबार संसदीय क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम संबंधी विनियम की समीक्षा तथा सामुदायिक वन अधिकारों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
20. श्री आदित्य यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण से प्रभावित ग्रामीण सड़कों की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर द्वारा सेवा शर्त के रूप में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के कारण कार्यरत शिक्षकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
22. प्रो. सौगत राय द्वारा अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
23. श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को आबंटित निधियों का संवितरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

24. श्री मुरसोली एस. द्वारा तमिलनाडु में धान की नमी की मात्रा बढ़ाए जाने तथा एफसीआई द्वारा खरीद कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
25. श्री के. ई. प्रकाश द्वारा मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में आवंटित बजट का 60 प्रतिशत खर्च करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा सेवा शर्त के रूप में शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के कारण कार्यरत शिक्षकों को हो रही समस्याओं का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
27. श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार हेतु बजट आवंटन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
28. श्री चंदन चौहान द्वारा राजस्थान के बिजनौर संसदीय क्षेत्र में कोविड-19 के दौरान रोक दी गई रेल सेवाओं की बहाली और रेलवे से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में।
29. श्री सचिदानन्दम आर. द्वारा तमिलनाडु में पुलायन अनुसूचित जाति समुदाय के बारे में को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
30. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर एक सांविधिक शहरी रोजगार गारंटी नीति की आवश्यकता के बारे में ।

अपराहन 12.12 बजे

9. चुनाव सुधारों पर आगे चर्चा।

उपलब्ध समय: 10 घंटा

लिया गया समय: 12 घंटे 59 मिनट

चुनाव सुधारों पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:

1. श्री के. सी. वेणुगोपाल
2. श्री रवि शंकर प्रसाद
3. श्रीमती शताब्दी राय
4. श्रीमती डिम्पल यादव

5. श्री सेल्वागणपति टी. एम.
6. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
7. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
8. डॉ. तिरुमावलवन थोल्कप्पियन
9. सुश्री कंगना रनौत
10. श्री मियां अल्ताफ अहमद
11. श्री विजय कुमार हाँसदाक
12. डॉ. मोहम्मद जावेद
13. श्री तटकरे सुनील दत्तात्रेय
14. श्री चंदन चौहान
15. श्री सुब्बारायण के.
16. श्री सुदामा प्रसाद
17. श्री एम. मल्लेश बाबू
18. श्री अभिजीत गंगोपाध्याय
19. श्री उज्ज्वल रमण सिंह
20. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
21. श्री राजेश रंजन
22. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
23. श्री असादुद्दीन ओवैसी
24. एडवोकेट चन्द्र शेखर
25. श्री राजीव प्रताप रूडी
26. श्री ईशा खान चौधरी
27. डॉ. इन्द्रा हांग सुब्बा
28. श्री दुरई वाइको
29. श्री नवीन जिंदल
30. श्री अब्दुल रशीद शेख
31. श्री इमरान मसूद
32. श्री हनुमान बेनीवाल
33. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
34. श्री राजकुमार रोट

35. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
36. डॉ. मल्लू रवि
37. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
38. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे
39. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर

%श्री अमित शाह ने चर्चा का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

सायं 6.27 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

%गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 11 दिसम्बर, 2025/ 20 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 98

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 166 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 167 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) ने संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।
- (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई-कार्रवाई का ज्ञापन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -
- (क) (एक) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आरईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ख) (एक) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ग) (एक) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (घ) (एक) टुस्को लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टुस्को लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ङ) (एक) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएचडीसी लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (च) (एक) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की

सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (छ) (एक) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ज) (एक) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) टीएचडीसीआईएल-यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, देहरादून का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (झ) (एक) ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ञ) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ट) (एक) डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण का सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डीएनएच और डीडी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-

महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (ठ) (एक) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ड) (एक) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनटीपीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (ढ) (एक) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसजेवीएन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) (एक) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स (एफओआर), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए), जम्मू के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।
- (दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए), जम्मू के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

- (9) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (अनुपालन प्रवर्तन) नियम, 2025 जो दिनांक 24 अक्टूबर 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (11) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ.3582(अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 जनवरी, 2026 से घरेलू उपयोग के लिए स्टार लेबल युक्त तरलीकृत घरेलू पेट्रोलियम गैस चूल्हा हेतु इसमें उल्लिखित ऊर्जा खपत मानकों को विनिर्दिष्ट किया गया है।
- (दो) का.आ. 3620 (अ) जो दिनांक 4 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रयोजनों के लिए घरेलू गैस चूल्हे को 30 ग्राम-बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर गैस इनलेट दबाव पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के साथ प्रयोग में लाने को निर्दिष्ट किया गया है ।
- (तीन) का.आ. 3984(अ) जो दिनांक 1 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ.2528(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ. 5127 (अ) जो दिनांक 12 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऊर्जा खपत मानकों को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसमें सिंगल फेज के लिए 230 वॉल्ट एसी, 50 हर्ट्ज का आउटपुट वोल्टेज और थ्री फेज के लिए 415 वॉल्ट एसी 50 हर्ट्ज तक ग्रिड कनेक्टेड सोलर इनवर्टर शामिल है जिसकी रेटेड क्षमता 100 किलोवाट तक है और इसे भारत में निर्मित और आयात किया जा रहा है।

(पाँच) का.आ. 5128(अ) जो दिनांक 12 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सिंगल फेज के लिए 230 वॉल्ट एसी, 50 हर्ट्ज तक का आउटपुट वोल्टेज और थ्री फेज ग्रिड से जुड़े गैर-भंडारण सोलर इनवर्टर के लिए तथा 415 वॉल्ट एसी, 50 हर्ट्ज तक का आउटपुट वोल्टेज को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसमें 100 किलोवाट रेटेड आउटपुट पावर शामिल है जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रयोजनों के लिए आईएस 17980:2022/आईईसी 62891:2020 के दायरे में शामिल है।

(12) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) विद्युत (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 19 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.688(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत लाइनों के लिए तकनीक मानक) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीईए-टीएच-17/1/2021-टीईटीडी डिवीजन में प्रकाशित हुआ।

(तीन) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 9 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसका शुद्धि पत्र दिनांक 13 नवंबर 2025 की अधिसूचना संख्या एफ.सं.एल-1/261/2021-सीईआरसी में प्रकाशित हुआ था।

(चार) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 6 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एल-1/250/2019/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय

में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, औरंगाबाद के वर्ष 2024-2025 के लिए कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (4) (एक) इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) केंद्रीय टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हेंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

- (दो) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हेंड टूल्स, जालंधर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) विद्युत मापक उपकरण डिजाइन संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विद्युत मापक उपकरण डिजाइन संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इलेक्ट्रॉनिकी सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इलेक्ट्रॉनिकी सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रामनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केन्द्र, आगरा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) काँच उद्योग विकास केंद्र, फिरोजाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काँच उद्योग विकास केंद्र, फिरोजाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

- (11) (एक) सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र, कन्नौज के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र, कन्नौज के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आगरा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, विशाखापत्तनम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, दुर्ग के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की

- सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) काँयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काँयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) काँयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन) हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) एमएसएमई-प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र), मेरठ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र), मेरठ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड, मुंबई का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) (एक) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.3828 (अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2025 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ.3951 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का.आ.3952 (अ) जो दिनांक 28 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का.आ.4195 (अ) जो दिनांक 16 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की

- अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का.आ.5435(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छह) का.आ.5504 (अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सात) का.आ.5507 (अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ.5437 (अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ.5426(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ.5438(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 मई, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ.2040(अ) को निरस्त किया गया है।
- (तीन) का.आ.5505(अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित असम राज्य के राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (चार) का.आ.5506(अ) जो दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ.1305(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पांच) का.आ.5436(अ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित बिहार राज्य के राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

- (छह) का. आ. 3827(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (मयालार-जैसलमेर खंड) के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (3) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (एक) और (2) के (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला समेकित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलूरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, डिस्पैच राइडर/श्री व्हीलर ड्राइवर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025, जो दिनांक 26 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.नि. 577(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली नगर कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पोलावरम परियोजना प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री लालजी वर्मा ने 18वीं लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2025-26)के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'सागरमाला' फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसएफसीएल) के बारे में समिति का अठारहवां प्रतिवेदन।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड)' के बारे में समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन।
- (3) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित 'न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल)' के बारे में समिति का बीसवां प्रतिवेदन।
- (4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के सीपीएसयू के निष्पादन की समीक्षा' के बारे में समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन।
- (5) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संबंधी 'उच्च दाब वाली गैस के फ्लेयरिंग के कारण होने वाली हानि' से संबंधित वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्यांक 14 के पैरा संख्या 2.4 की लेखापरीक्षा आधारित जांच के बारे में समिति का बाईसवां प्रतिवेदन।
- (6) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय संबंधी 'रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से 890.34 करोड़ रुपये के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर मद की खरीद' से संबंधित वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्या 03 के पैरा संख्यांक 6.1 की लेखापरीक्षा आधारित जांच के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

- (7) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संबंधी 'उपभोक्ता से टर्नओवर कर की वसूली के माध्यम से अनुचित संवर्धन' से संबंधित वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्यांक 14 के पैरा संख्या 2.1 की लेखापरीक्षा आधारित जांच के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।
- (8) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआईएल) के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।
- (9) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय संबंधी 'हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में डिजाइन और विकास (डी एंड डी)' से संबंधित वर्ष 2023 के प्रतिवेदन संख्यांक 18 के अध्याय-दो की लेखापरीक्षा आधारित जांच के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।
- (10) लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'मंत्रालयों/विभागों द्वारा सी एंड एजी पैरा/प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की-गई कार्रवाई टिप्पणों (एटीएन) को समय से प्रस्तुत किये जाने की समीक्षा' के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्ताईसवां प्रतिवेदन।
- (11) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित 'आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड' के बारे में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. राजेश मिश्रा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत नए एम्स (चरण-एक) के कार्यकरण' के बारे में 111वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 166वां प्रतिवेदन।

- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता' के बारे में 157वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 167वां प्रतिवेदन।
- (3) आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 (मांग संख्या 4) के बारे में 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई -कार्रवाई संबंधी 168वां प्रतिवेदन।
- (4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों 2025-26 (मांग संख्या 47) के बारे में 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 169वां प्रतिवेदन।
- (5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों 2025-26 (मांग संख्या 46) के बारे में 163वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 170वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.05 बजे

6. 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय को बढ़ाया जाना

श्री पी.पी. चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि यह सभा 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के लिए समय को बजट सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिवस तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 4.06 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, पोंग और अन्य प्रमुख जलाशयों से गाद निकालने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा पीएम मित्र योजना के अंतर्गत असम में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में आयुष कॉलेज की स्थापना के बारे में।
- (4) डॉ. सी. एम. रमेश द्वारा पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली के किसानों के लंबित दावों के निपटान में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा देश में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत जारी दिशा निर्देशों को और मज़बूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री राजकुमार चाहर द्वारा आगरा को देश का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) केंद्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ऋषभदेव रोड पलेरा और सेमारी रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली गांव की सड़कों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री दिनेशभाई मकवाणा द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में स्थित असारवा रेलवे स्टेशन के चमनपुरा छोर पर एक अतिरिक्त प्रवेश/निकास द्वार का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित भेतनोई को ब्लैक बक के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के हिम्मतनगर या अरावली जिले में एक स्थायी कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) निर्मित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 4.06 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

- (11) श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा खजुराहो-पन्ना-कटनी क्षेत्र में एमएसएमई और सीएफसी योजनाओं के तहत पत्थर/ग्रेनाइट आधारित आधुनिक क्लस्टर या प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमोदन के बारे में।
- (12) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक में पशुपालन की क्षमता विकास हेतु एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा जिले में रेल कोच या रेल घटक निर्माण इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री श्रेयस एम. पटेल द्वारा कर्नाटक में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा पंजाब के गुरदासपुर जिले में रावी नदी पर पुल का निर्माण किए जाने और राज्यों को ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत लंबित धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री रॉबर्ट ब्रूस सी. द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के केला उत्पादक किसानों को, जिनकी फसल चक्रवात के कारण बर्बाद हो गई है, को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) डॉ. धर्मवीर गांधी द्वारा पंजाब को 70000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा तमिलनाडु के करूर और तिरुचिरापल्ली जिलों में विभिन्न लेवल क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज/अंडरपास बनाए जाने के बारे में।
- (19) श्री राजीव राय द्वारा नकली कफ सिरप और नकली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए नेशनल एंटी फेक ड्रग्स टास्क फोर्स का गठन किए जाने के बारे में।
- (20) श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल सर्विस को मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक विस्तारित किए जाने के बारे में।
- (21) श्री जगदीश चन्द्रा बर्मा बसुनिया द्वारा पश्चिम बंगाल में स्थित कूच बिहार महल का एक विशेष विरासत परियोजना के रूप में पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा तमिलनाडु में हथकरघा बुनकरों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) श्री रामप्रीत मंडल द्वारा बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर बाजार में प्रधान डाकघर की स्थापना के बारे में।

- (24) श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा सभी आपदा प्रबंधन अभिकरणों को आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों से लैस किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा महाराष्ट्र के पुणे कृषि उपज बाजार समिति में कथित अनियमितताओं के बारे में।
- (26) श्री नरेश गणपत म्हस्के द्वारा महाराष्ट्र के पुणे और अहिल्यानगर जिलों में मानव-तेंदुआ संघर्ष के समाधान के लिए एक वैज्ञानिक और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में।
- (27) श्री मड्डीला गुरुमूर्ति द्वारा आंध्र प्रदेश में स्थापित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (28) श्री मलविंदर सिंह कंग द्वारा पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स/पीजीआईएमईआर जैसा अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (29) श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल द्वारा दीव और देश के अन्य हिस्सों में मछली पकड़ने के लिए अपनाई जाने वाली अवैध विधियों को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 4.07 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2025/ 21 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 99

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख^{1*}

माननीय अध्यक्ष ने श्री शिवराज वी. पाटिल, पूर्व अध्यक्ष और सातवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

माननीय अध्यक्ष ने 13 दिसम्बर, 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकवादी हमले की दुःखद घटना के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा की स्मृति में और आतंकवादी हमले के शहीदों के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

2. प्रश्न

चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा स्थगित हो गई थी, इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः, आज की कार्य-सूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200 को अतारांकित प्रश्न माना गया तथा उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (2) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एर्नाकुलम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, एर्नाकुलम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित खाते।
- (दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित खाते।
- (दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्ति वर्धन सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 28 फरवरी, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 156(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्तनु ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कोचीन पत्तन प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) कोचीन पत्तन प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) कोचीन पत्तन प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(चार) कोचीन पत्तन प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (चार) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण, न्यू मंगलौर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) न्यू मंगलौर पत्तन प्राधिकरण, न्यू मंगलौर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (दो) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा की गई समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

- (चार) दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) कामराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) कामराजार पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलोर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलोर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, देहरादून के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, देहरादून का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी :-

- (1) एमएसटीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) मेकॉन लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (3) एमओआईएल लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (5) एनएमडीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित

पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) केआईओसीएल लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बस्तर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, बस्तर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एनएमडीसी लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिटा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

- (2) (एक) साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त हुए वर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. निशिकान्त दुबे ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई- कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौदहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

- (4) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पंद्रहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (5) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (6) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के नौवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (7) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के दसवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (8) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी उन्नीसवें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की- गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

5. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'शहरी पेयजल पर विशेष बल सहित अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) की समीक्षा' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित अन्तिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती हिमाद्री सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और विभिन्न एजेंसियों द्वारा इसे कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 401वां प्रतिवेदन।
- (2) दिल्ली एनसीआर में जल प्रदूषण और विभिन्न एजेंसियों द्वारा इसे कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में 402वां प्रतिवेदन।
- (3) सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ) और सीएसआईआर-जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान (सीएसआईआर-आईजीआईबी) के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में 403वां प्रतिवेदन।
- (4) टाटा मेमोरियल सेंटर (टीएमसी), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में 404वां प्रतिवेदन।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) श्री प्रतापराव जाधव ने आयुष मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा' के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 156वें और 162वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 'आयातित यूरिया से संबंधित आवश्यक भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत की आकस्मिक निधि से आहरण' के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय को बढ़ाया जाना

श्री तेजस्वी सूर्या ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि यह सभा जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के लिए समय को बजट सत्र 2026 के पहले भाग के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

^{2*}अपराहन 12.08 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री राहुल गांधी ने देश के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के बारे में एक निवेदन किया।

^{3\$}श्री किरिन रिजिजू ने उत्तर दिया।

*(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराहन 1.01 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.02 बजे पुनः समवेत हुई)*

अपराहन 2.02 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

1. श्री मुकेश राजपूत ने फरुखाबाद में मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी को एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डे में परिवर्तित किए जाने के लिए उसके विस्तार और विकास के बारे में मामला उठाया।

* अपराहन 12.08 बजे से अपराहन 1.01 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

\$ संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

2. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने बिहार के सारण और सिवान जिलों के एकना और भगवानपुर हाट में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
3. श्री सतपाल ब्रह्मचारी ने हरियाणा के जींद और गोहाना से राजस्थान के रिंगस के बीच नई ट्रेन सेवाओं की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
4. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला ने राजस्थान के झुनझुनू में नवलगढ़ रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
5. श्री देवेश शाक्य ने उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग संख्या 31 और एमडीआर 86 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के साथ-साथ उन्हें चार लेन वाली सड़कों में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
6. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी ने तमिलनाडु के सलेम हवाई अड्डे पर रनवे का विस्तार और अन्य अवसंरचना बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
7. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी ने आंध्र प्रदेश के उत्तरांध्र क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
8. डॉ. राजेश मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुसामुदी और भूमका गांवों में विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहीत की गई हैं, उन्हें नई भूमि अधिग्रहण नीति के अनुसार मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
9. श्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में कुशल प्रशासन के लिए ब्लॉकों का आकार घटाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
10. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के बदरपुर स्थित एनटीपीसी की खाली जमीन का उपयोग करके एम्स-दिल्ली के विस्तार के बारे में मामला उठाया।
11. श्री लुम्बा राम ने राजस्थान में रेलवे से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में मामला उठाया।

12. श्री मुरारी लाल मीना ने राजस्थान के दौसा और अन्य भागों में पत्थर और संगमरमर उद्योग से निकलने वाली धूल के कारण होने वाली बीमारी सिलिकोसिस से उत्पन्न गंभीर स्थिति का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार^{4%}, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. डॉ. के सुधाकर द्वारा कर्नाटक में चिक्काबल्लापुर को प्रसाद और स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत पर्यटक गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री ज्ञानेश्वर पाटील द्वारा मध्य प्रदेश के खंडवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री गजेन्द्र सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश में खंडवा-अलीराजपुर रेल लाइन परियोजना के बारे में शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा जिले में सोन-कनहार पाइपलाइन सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री बलभद्र माझी द्वारा ओडिशा में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को गति प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री मितेश पटेल बकाभाई द्वारा गुजरात के आणंद जिले में हवाई पट्टी और हेलीपैड के विकास के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ईपीएफ पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन और बकाया राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के दौरान पर्यावरणीय मानदंडों का पालन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा तेलंगाना के पेड़पल्ले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

^{4%} अपराहन 2.40 बजे

10. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।
11. श्रीमती बाग मिताली द्वारा पश्चिम बंगाल को मनरेगा के अंतर्गत देय धनराशि जारी करने और इस योजना के अंतर्गत पुनः काम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री खलीलुर रहमान द्वारा पश्चिम बंगाल के जांगीपुर और मुर्शिदाबाद में बीड़ी कामगारों के लिए आधुनिक अस्पताल की स्थापना तथा बीड़ी कामगार कल्याण कोष के लिए बजटीय आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

⁵@अपराहन 2.32 बजे

12. वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच - विचाराधीन

आवंटित समय: 6 घंटा

लिया गया समय: 1 घंटा 02 मिनट

शेष समय: 4 घंटा 58 मिनट

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 35 से 38, 43 से 55, 58 से 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76 से 79, 82, 85 से 89, 94 से 99 और 101 पर चर्चा आरंभ हुई।

चौदह कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 11, 14 तथा 19 और 20) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा
2. श्री जगदम्बिका पाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

@ अपराहन 2.28 बजे से अपराहन 2.32 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 3.34 बजे

13. गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प - वापस लिया गया

श्री शफी परम्बिल द्वारा 26 जुलाई, 2024 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:-

"इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि:-

(क) वर्ष 1994 में हवाई किराये का विनियमन हटाए जाने से पहले, हवाई किराये को नियंत्रण में रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हवाई किराये को पूर्ण रूप से विनियमित किया जाता था;

(ख) मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ, एयरलाइन्स को वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) के उपबंधों के अंतर्गत उचित टैरिफ तय करने की स्वतंत्रता है;

(ग) यद्यपि वायुयान नियम, 1937 का नियम 135(4) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को किसी एयरलाइन को, यदि उसने नियम 135(1) के अंतर्गत अत्यधिक टैरिफ निर्धारित किया है या अल्पाधिकार संबंधी व्यवहार में लिप्त है, निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन नियम 135(1) के अंतर्गत एयरलाइनों को टैरिफ निर्धारित करने के लिए दी गई मनमानी और अनियंत्रित शक्तियों के कारण उक्त उपबंध निष्प्रभावी हो जाता है;

(घ) विनियमन-मुक्ति की नीति अपनाए जाने के बाद से, बाजार की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर हवाई किराये में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ङ) हाल के वर्षों में, विशेष रूप से छुट्टियों के मौसम के दौरान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई किराए में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासियों सहित बड़ी संख्या में यात्री प्रभावित हुए हैं;

(च) खाड़ी क्षेत्र में अधिकांश प्रवासी श्रमिक अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक हैं, जिनकी आय सीमित है, छुट्टियों के मौसम में हवाई किराए में बेतहाशा वृद्धि उन्हें हमेशा भारी कर्ज के जाल में फंसा देती है;

(छ) प्रवासियों के मामले में, अधिकांश प्रवासी श्रमिकों को केवल छुट्टियों के मौसम के दौरान ही छुट्टी मिलती है और इसलिए परिवार के साथ एकजुट होने का भावनात्मक मूल्य उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, उन्हें अपनी एक-वर्ष की बचत केवल राउंड ट्रिप हवाई किराए

के लिए ही चुकानी पड़ती है और कई प्रवासी टिकट पाने के लिए लिए गए भारी कर्ज के बारे में शिकायत करते हैं;

(ज) चूंकि एयरलाइनें व्यस्ततम सीजन के दौरान पूरी यात्री-क्षमता से प्रचालन करती हैं और भारी मुनाफा कमाती हैं, इसलिए 'अनियंत्रित मूल्य से अधिक वसूली' की वर्तमान नीति अनैतिक, अनुचित और विदेश में रहने वाले गरीब प्रवासी श्रमिकों के साथ अन्याय है;

(झ) यद्यपि नागरविमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 'टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट्स' बनाई हैं, लेकिन यह केवल यह सुनिश्चित करता है कि एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले किराए उनकी वेबसाइटों पर प्रदर्शित एयरलाइनों के निर्धारित टैरिफ के भीतर हों;

(ञ) विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता, विकास और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइन कंपनियों को नियंत्रण मुक्त करने की आवश्यकता है, सरकार उद्योग के प्रमुख हितधारकों यथा यात्रियों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती है; और

(ट) स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, यात्रा, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति ने पहले ही कहा है कि वर्तमान एयरलाइन निगरानी व्यवस्था के स्व-विनियमन तंत्र एक ओर यात्रियों के वित्तीय बोझ और दूसरी ओर एयरलाइन कंपनियों के टैरिफ ढांचे का समाधान करने के लिए अपर्याप्त हैं,

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि-

(i) हवाई किराए को इस तरह से विनियमित करने के लिए उचित उपाय करे जिससे किसी विशिष्ट मार्ग में एयरलाइन द्वारा तय किए जा सकने वाले अधिकतम किराए की एक उचित ऊपरी सीमा हो;

(ii) छुट्टियों के मौसम में अत्यधिक हवाई किराए के मुद्दे पर तत्काल चर्चा करने के लिए एयरलाइन ऑपरेटरों, जनता के प्रतिनिधियों और अन्य सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए; और

(iii) हवाई किराए को नैतिक और न्यायसंगत तरीके से विनियमित करने और उसकी निगरानी करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की जाए।"।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़
2. श्री रमाशंकर राजभर

3. तिरु अरुण नेहरू
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री जगदम्बिका पाल
6. श्री चंदन चौहान
7. श्री मणिककम टैगोर बी.
8. श्रीमती मालविका देवी

^{6*}श्री किंजरापु नायडू ने वाद-विवाद में भाग लिया।

श्री शफी परम्बिल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अपराहन 5.56 बजे

(लोक सभा सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* नागर विमानन मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/ 24 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 100

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने श्री सुभाष आहूजा, छठी लोक सभा के सदस्य; प्रो. सलाहुद्दीन, आठवीं लोक सभा के सदस्य और श्री बाल कृष्ण चौहान, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः, आज की कार्य-सूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220 को अतारांकित प्रश्न माना गया तथा उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संस्कृति मंत्री; तथा पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उप-धारा (3) के अंतर्गत शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 8 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, समग्र शिक्षा ओडिशा, भुवनेश्वर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण, समग्र शिक्षा ओडिशा, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नागालैंड एजुकेशन मिशन सोसाइटी, कोहिमा के वर्ष 2023-2024 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नागालैंड एजुकेशन मिशन सोसाइटी, कोहिमा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2025 का संख्याक 18) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां) का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण, 2024-2025 की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 की पहली छमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की छमाही समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(4) राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2025, जो दिनांक 30 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.514(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) फीस का उद्ग्रहण (सीमा-शुल्क दस्तावेज़) संशोधन विनियम, 2025, जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4940(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

- (दो) समुद्री कार्गो मैनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट (चौथा संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.727(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सीमा-शुल्क (मंजूरी के बाद प्रविष्टियों का स्वैच्छिक पुनरीक्षण) विनियम, 2025 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4941(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सीमा-शुल्क (अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना) विनियम, 2025, जो दिनांक 12 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.629(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) परियोजना आयात (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.876(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (टेकफिन और सहायक सेवाएँ) विनियम, 2025, जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/005 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (विनियम और अनुषंगी अनुदेश बनाने की प्रक्रिया) नियम, 2025, जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/006 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 30 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/007 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (संदाय विनियामक बोर्ड)

विनियम, 2025, जो दिनांक 16 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/008 में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/009 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (संदाय और निपटान प्रणाली) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/010 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/जीएन/2025/011 में प्रकाशित हुए थे।
- (7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 18 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/274 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अभिरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 18 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/267 में प्रकाशित हुए थे।
- (8) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना और उधार देना) (संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 6 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 3(आर)(4)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (सातवां संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 6 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 10(आर)(7)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025, जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फेमा 23(आर)(7)/2025-आरबी में प्रकाशित हुए थे।
- (9) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 52 की उप-धारा (5) के अंतर्गत बैंककारी कंपनी (नामांकन) नियम, 2025, जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.790(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सिक्का निर्माण (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर की प्लेटिनम जयंती समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025 जो दिनांक 12 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.547(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सिक्का निर्माण (श्री सत्यप्रमोद तीर्थ स्वामी जी की 108वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2025 जो दिनांक 18 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.560(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सिक्का निर्माण (डॉ.भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 26 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.580(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सिक्का निर्माण (आचार्य जवाहर लाल जी महाराज की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 1 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.597(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) सिक्का निर्माण (सरदार बल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.724(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सौ वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 30 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.726(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सिक्का निर्माण (कित्तूर में रानी चेनम्मा की विजय की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.774(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सिक्का निर्माण (महर्षि दयानन्द सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.800(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) सिक्का निर्माण (आर्य समाज का 150वां वर्ष समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.801(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) सिक्का निर्माण (एनएचपीसी लिमिटेड के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 4 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.817(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) सिक्का निर्माण ('वंदे मातरम' के 150 वर्षों का स्मरणोत्सव के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 6 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.822(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) सिक्का निर्माण (श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक

24 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.860(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तेरह) सिक्का निर्माण (श्री संस्थान गोकर्ण पतंगाली जीवोत्तम मठ की 550वें जयंती समारोह के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 जो दिनांक 26 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.867(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
- (क) (एक) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-

- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (14) 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:-
- (एक) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, हनुमकोंडा
- (दो) आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडप्पा
- (तीन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पापुम परे
- (चार) आर्यावर्त, लखनऊ
- (पांच) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- (छह) बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद
- (सात) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, वडोदरा
- (आठ) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
- (नौ) बड़ौदा यूपी बैंक, गोरखपुर
- (दस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
- (ग्यारह) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, रायपुर
- (बारह) दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, पटना
- (तेरह) एल्लाक्वाई देहाती बैंक, श्रीनगर
- (चौदह) हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी
- (पन्द्रह) जेएंडके ग्रामीण बैंक, जम्मू
- (सोलह) झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, रांची
- (सत्रह) कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बल्लारी
- (अठारह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़
- (उन्नीस) केरल ग्रामीण बैंक, तिरुवनंतपुरम
- (बीस) मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इंदौर
- (इक्कीस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर

(बाईस)	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, छत्रपति संभाजीनगर
(तेईस)	मणिपुर ग्रामीण बैंक, इंफाल
(चौबीस)	मेघालय ग्रामीण बैंक, शिलांग
(पच्चीस)	मिजोरम ग्रामीण बैंक, आइजोल
(छब्बीस)	नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा
(सत्ताईस)	ओडिशा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर
(अठ्ठाईस)	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, हावड़ा
(उनतीस)	प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, मुरादाबाद
(तीस)	पुदुवई भरथियार ग्राम बैंक, पुदुचेरी
(इकतीस)	पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला
(बत्तीस)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, जोधपुर
(तैंतीस)	सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, चित्तूर
(चौंतीस)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
(पैंतीस)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
(छत्तीस)	तमिलनाडु ग्राम बैंक, सेलम
(सैंतीस)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद
(अइतीस)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला
(उनचालीस)	उत्कल ग्रामीण बैंक, बोलंगीर
(चालीस)	उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार
(इकतालीस)	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर
(बयालीस)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून
(तैंतालीस)	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर

- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की सरकार द्वारा की गई समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत सा.का.नि.885(अ) जो दिनांक 7 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 की अधिसूचना संख्या 3/2021-सीमा शुल्क (सीवीडी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (17) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.667(अ) जो दिनांक 17 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 03.09.2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में यथासंस्तुत सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी छूट से संबंधित दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 67 की उप-धारा (4) के अंतर्गत मजदूरी संहिता (केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.720 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कीर्तिवर्धन सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेंगलोर की 1.4.2022 से 30.11.2022 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेंगलोर के 1.4.2022 से 30.11.2022 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के साल 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, शिमला के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सोसायटी), गुरदासपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सोसायटी), गुरदासपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (13) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (14) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (15) (एक) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।
- (16) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (17) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।
- (18) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (19) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, ग्वालियर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (20) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (21) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, शिलांग के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (22) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (23) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025

- का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुदुचेरी का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड, पुरी का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (जयंत चौधरी) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुकान्त मजूमदार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा.सं. 27021/2025-स्था./सीएसयू/अध्यादेश (भाग फाइल-II), जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के तीन अध्यादेशों तथा एक विनियम को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, उदयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड, पालक्काड के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड, पालक्काड के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड, पालक्काड के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रूपनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरतकल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री के.सी. वेणुगोपाल ने लोक लेखा समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'प्रोत्साहन और भत्तों का अनियमित भुगतान' विषय के बारे में लोक लेखा समिति (2025-26) का चौंतीसवां प्रतिवेदन।
- (2) 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' के बारे में लोक लेखा समिति के एक सौ बयालीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट लोक लेखा समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पैंतीसवां प्रतिवेदन।

5. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्रीमती मालविका देवी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के दसवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'साइबर सुरक्षा और साइबर/सफेदपोश अपराधों की बढ़ती घटनाओं' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति(2024-25) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)'के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 379वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.09 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 02.00 बजे

पुनः समवेत हुई)

अपराहन 2.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों,जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्रीमती स्मिता उदय वाघ द्वारा महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों में स्वचालित मौसम केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्रीमती मालविका देवी द्वारा भवानीपटना में लाल बहादुर स्टेडियम के उन्नयन के लिए विशेष अनुदान दिए जाने और खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत ओडिशा के कालाहांडी जिले में मणिकेश्वरी विश्वविद्यालय स्टेडियम के निर्माण के लिए आवंटन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा की देशी जनजातीय भाषा कोकबोरोक के लिए रोमन लिपि को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. डॉ. निशिकान्त दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में सैन्य स्टेशन, डीआरडीओ प्रयोगशाला और रक्षा अवसंरचना परियोजना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्रीमती मंजू शर्मा द्वारा राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो द्वारा पुरुलिया-मनबाजार-झाड़ग्राम नई रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री अरुण गोविल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मेरठ और हापुड़ में गौ अभ्यारण्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री महेश कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख पर्यटक स्थलों को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
9. श्री दामोदर अग्रवाल द्वारा बायोचार के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा देश में छावनी बोर्ड के सिविल क्षेत्रों को नगर निकायों

के साथ विलय करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

11. डॉ. आनंद कुमार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर के लिए वित्तपोषण बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए बचाव एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. सुश्री कंगना रनौत द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक वैदिक योग स्थल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. डॉ. शशि थरूर द्वारा देश में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण गंभीर मैक्रो-इकोनॉमिक और जन स्वास्थ्य संकट को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. मोहम्मद रकिबुल हुसैन द्वारा असम के छह समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा महाराष्ट्र के भंडारा में थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत संयंत्र लगाए जाने के लिए जिन किसानों का ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था, उन्हें नई भूमि अधिग्रहण नीति के अनुसार मुआवज़ा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. श्री शफी परम्बिल द्वारा देश में ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) के रोगियों के लिए और अधिक अवसंरचना का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17. श्री मनीश तिवारी द्वारा पंजाब के मोहाली में सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी (एससीएल) की वित्तीय लेखापरीक्षा किए जाने तथा उसका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री लालजी वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर जिले में एनटीपीसी परियोजना के कारण विस्थापित लोगों को मुआवज़ा देने और उनका पुनर्वास सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्रीमती जून मालिया द्वारा देश में बेरोज़गारी की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री जगदीश चन्द्रा बर्मा बसुनिया द्वारा पश्चिम बंगाल के कूच बिहार स्पोर्ट्स हब के निर्माण के लिए आवंटित निधि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. डॉ. गणपथी राजकुमार पी. द्वारा तमिलनाडु के कोयंबटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

का नाम बदलकर डॉ. कलाङ्गनार करुणानिधि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

22. श्री अंबिका जी. लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि द्वारा आंध्र प्रदेश स्थित लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के लिए नामांकन प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार में पंचदेवरी-भटनी रेल लाइन परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा मुंबई बंदरगाह के आधुनिकीकरण, विकास और गाद हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा देश में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्री एस. वेंकटेशन द्वारा तमिलनाडु में मदुरै मेट्रो रेल परियोजना का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री राजेश रंजन द्वारा बिहार के मिथिला-सीमांचल क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य कौशल विकास संस्थानों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

8. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) निरसन और संशोधन विधेयक, 2025

चर्चा के पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित किया गया

अपराहन 2.05 बजे

(दो) विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

3. प्रो. सौगत राय
4. श्री सेल्वागणपति टी.एम.
5. सुश्री एस. जोतिमणि

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

कुछ सदस्यों के अनुरोध पर संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने सूचना दी कि विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा जाएगा।

अपराहन 2.24 बजे

(तीन) नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक, 2025

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
3. प्रो. सौगत राय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) ने भी सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराहन 2.34 बजे

9. वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच - पारित

आवंटित समय: 6 घंटा

लिया गया समय: 7 घंटा 01 मिनट

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 35 से 38, 43 से 55, 58 से 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76 से 79, 82, 85 से 89, 94 से 99 और 101 के बारे में आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री नीरज मौर्य
2. प्रो. सौगत राय
3. श्री टी. आर. बालू
4. श्री केसिनेनी शिवनाथ
5. श्री के. सी. वेणुगोपाल
6. डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. श्री बजरंग मनोहर सोनवणे
8. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
9. श्री राव राजेन्द्र सिंह
10. श्रीमती शांभवी
11. श्री सुधाकर सिंह
12. श्री सचिदानन्दम आर.
13. श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी
14. श्री धर्मेन्द्र यादव
15. श्री शशांक मणि
16. श्री गुरजीत सिंह औजला
17. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
18. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
19. श्री सुब्बारायण के.
20. श्री राहुल कस्वां
21. डॉ. सी. एन. मंजूनाथ
22. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
23. श्रीमती प्रतिमा मण्डल

24. डॉ. रानी श्रीकुमार
25. श्रीमती धानोरकर प्रतिभा सुरेश
26. डॉ. विनोद कुमार बिंद
27. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास
28. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे
29. श्री बलभद्र माझी
30. श्री आनंद भदौरिया
31. श्री असादुद्दीन ओवैसी
32. श्री राजेश रंजन
33. श्री हनुमान बेनीवाल
34. एडवोकेट चन्द्र शेखर
35. श्री मोहम्मद हनीफ़ा
36. श्री श्रेयस एम. पटेल
37. श्री अब्दुल रशीद शेख
38. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
39. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
40. श्री राजकुमार रोट
41. श्री अरुण गोविल
42. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - प्रथम बैच की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग संख्या 1,3,4,6,7, 10, 11, 13, 15 से 21, 23 से 30, 32, 35 से 38, 43 से 55, 58 से 66, 68, 69, 71, 72, 74, 76 से 79, 82, 85 से 89, 94 से 99 और 101 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

10. सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025

11. सरकारी विधेयक- पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.33 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2025/ 25 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 101

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 227 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 228 से 240 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (पलेक्सकॉनसिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (पलेक्सकॉनसिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) बुनियादी रसायन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) बुनियादी रसायन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल), मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) भारतीय रबड़ सामग्री अनुसंधान संस्थान, ठाणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) (एक) ईओयू और एसईजेड की निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) ईओयू और एसईजेड की निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) स्पाइसेस बोर्ड भारत, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) स्पाइसेस बोर्ड भारत, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) स्पाइसेस बोर्ड भारत, कोचीन के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चर्म निर्यात परिषद, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) स्पोर्ट्स गुड्स एण्ड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स गुड्स एण्ड टॉयज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा 8 के अंतर्गत गैस सिलेंडर (चौथा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 13 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 839 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.4524 जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा पूरे देश में इलेक्ट्रिक डेटोनेटर (क्लास 6 डिवीज़न 3 या यूएन क्लास 1 डिवीज़न 1 का विस्फोटक) के विनिर्माण, कब्जे, बिक्री और आयात के प्रतिबंध को 1 जुलाई, 2025 से अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के अंतर्गत जारी हस्त उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 जो 4 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5596(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उप-धारा (4) के अंतर्गत व्यापार चिन्ह (जांच तथा अपील धारण करना), नियम 2024 जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.505(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) माल का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत माल का भौगोलिक उपदर्शन (जांच और अपील करना) नियम 2024 जो दिनांक 16 अगस्त, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 504(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
 - (एक) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 25 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 865 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 15 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (24) उपर्युक्त (23) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- (1) की धारा 21(4) के अन्तर्गत वर्ष 2023 के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (3) (एक) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की

टिप्पणियां।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृन्द के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 2025 जो दिनांक 27 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, डिप्टी कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 जो दिनांक 27 सितंबर, 2025 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 155(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, भर्ती विनियम, 2025 जो दिनांक 9 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.ई-14011/3 /2024/एलपीएआई.(I) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.ई-14011/3/2024/एलपीएआई(II) में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसका शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण) दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना संख्या फा.सं. ई-14011/3/2024/एलपीएआई(II) में प्रकाशित हुआ था।
 - (तीन) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण (अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी) भर्ती संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 9 सितम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. ई-14011/3/2024/एलपीएआई(III) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2025 जो 1 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.731(अ) में

प्रकाशित हुए थे।

- (4) (एक) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) (एक) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के लेखा परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण। (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) होप सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन, दुर्गापुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) होप सोसाइटी फॉर हैंडीकैप्ड ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड एजुकेशन, दुर्गापुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन और रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन और रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौबल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंशियल, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंशियल, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) मनोचेतना, सिद्धिपेट के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मनोचेतना, सिद्धिपेट के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) समर्पण संस्था, गाज़ीपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समर्पण संस्था, गाज़ीपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) मानसिक विकास केंद्रम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मानसिक विकास केंद्रम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसाइटी, इरिंजालकुडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) प्रतीक्षा चैरिटेबल सोसाइटी, इरिंजालकुडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलीफ सोसाइटी, चित्तौड़ के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रूरल इंडिया मेडिकल एंड रिलीफ सोसाइटी, चित्तौड़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) (एक) राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमलेश पासवान) ने वर्ष 2024-2025 के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) दि ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ज) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (झ) (एक) एन्ड्र्यू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एन्ड्र्यू यूले एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ञ) (एक) नेपा लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेपा लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ट) (एक) हिंदुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान साल्टस लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ठ) (एक) सांभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सांभर साल्टस लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ड) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ढ) (एक) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, प्रयागराज के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, प्रयागराज का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ण) (एक) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (त) (एक) नेशनल बाइसाइकल कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) नेशनल बाइसाइकल कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (थ) (एक) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (द) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्कड के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) फलूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालक्कड के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) सेन्ट्रल मेन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलूरु के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेन्ट्रल मेन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलूरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं

की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (कर्मचारी भविष्य निधि), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉर्ज कुरियन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे नेविद्युत मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2025-26)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के आठवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. सी.एम. रमेश ने 'भारतीय रेल की माल ढुलाई संबंधी आय में वृद्धि और समर्पित माल ढुलाई गलियारों का विकास' विषय के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2025-26) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. सी.एम. रमेश ने रेल संबंधी स्थायी समिति (18वीं लोक सभा) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2024-25) के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी दूसरा प्रतिवेदन।

- (2) रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2025-26) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवां प्रतिवेदन।

7. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित 'राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआर) का कार्यकरण (2024-25)' के बारे में दसवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।
- (2) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'स्वच्छ और हरित ग्राम: पंचायतों की भूमिका (2024-25)' के बारे में अठारहवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (एक) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26) (मांग संख्या 10)' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 191वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26) (मांग संख्या 11)' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 190वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 192वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबित्रा मार्गेरिता) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:-

अपराहन 12.09 बजे

9. संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए विधेयक - प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया

“कि उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान और वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों के समन्वय और अवधारण के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार में श्रेष्ठता के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को समर्थ बनाने और सशक्त करने, और उस प्रयोजन के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का गठन करने के प्रयोजन के लिए, विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के स्वतंत्र स्वशासी संस्था बनने को सुकर करने के लिए और प्रत्यायन तथा स्वायत्तता की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से श्रेष्ठता की अभिवृद्धि करने के लिए, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्यों और माननीय सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य सभा के 10 सदस्यों वाली दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए;

विकसित भारत
शिक्षा अधिष्ठान
विधेयक,
2025.

कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का, यथासंभव एक-तिहाई के निकट होगी,

कि समिति बजट सत्र 2026 के पहले भाग के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में, संसदीय समिति से संबंधित इस सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, ऐसे परिवर्तनों और उपांतरणों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष तय करेंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

सौंपे जाने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.11 बजे

10. सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025.

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा:-

1. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
2. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री सेल्वागणपति टी. एम.
5. एडवोकेट चन्द्र शेखर

अध्यक्ष ने श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाई गई आपत्ति पर टिप्पणी* की।

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराहन 12.31 बजे

11. विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) विधेयक, 2025.

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा:-

1. श्री टी. आर. बालू
2. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा
3. प्रो. सौगत राय

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
5. डॉ. शशि थरूर
6. श्री के. सी. वेणुगोपाल
7. श्री धर्मन्द्र यादव
8. श्रीमती सुप्रिया सुले

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेंन रिजिजू) ने भी सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(लोक सभा अपराहन 1.02 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.00 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा व्यक्तिगत डाटा उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए दस्तावेजों का आकार बदलने हेतु प्रयोग किए जाने वाले अनधिकृत ऐप/वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल द्वारा प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के अंतर्गत एल्गोरिदम संबंधी जवाबदेही और प्लेटफॉर्म दायित्व को शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री बंटी विवेक साहू द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को पैनल में रखने की पात्रता की जांच किए जाने और आयुष्मान भारत योजना के

- अंतर्गत अंतर-राज्यीय प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा बनारस मंडल के अंतर्गत वर्तमान में आने वाले प्रमुख रेलवे स्टेशनों को सोनपुर मंडल में स्थानांतरित किए जाने और फिर सोनपुर मंडल से मुजफ्फरपुर मंडल में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
 5. श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों में नदी किनारे पक्का तटबंध बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 6. श्री विजय कुमार दूबे द्वारा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा रोजगार के अवसरों के विकास के बारे में।
 7. श्री राहुल सिंह लोधी द्वारा मोनोकुलर व्यक्तियों (एक आँख से देखने वाले व्यक्तियों को) 50 फीसदी विकलांगता प्रमाणपत्र दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 8. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा द्वारा गुजरात में 'सरदार सर्किट' के निर्माण के बारे में।
 9. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान (फॉरेस्ट-रिसर्च इंस्टीट्यूट) कैंपस से होकर गुजरने वाली कोलागढ़-बजावाला सड़क को चौड़ा करने के लिए मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 10. श्री विद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पटमादा-बोड़ाम मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को जल्द मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 11. डॉ. विनोद कुमार बिंद द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 12. श्री अनूप संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र में पूर्णा-अकोला रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना को फास्ट-ट्रैक परियोजना का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 13. श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ द्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में एक आधुनिक मौसम स्टेशन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 14. श्री मुरारी लाल मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ट्यूबवेल के रखरखाव, संचालन और बिजली बिलों के भुगतान के बारे में।
 15. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा पेसा क्षेत्रों में नगर पंचायतों और नगर परिषदों, विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए के लिए एक विशेष व्यापक कानूनी रूपरेखा की आवश्यकता के बारे में।
 16. श्री हरीश चंद्र मीना द्वारा राजस्थान के टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 17. श्री सालेंग ए. संगमा द्वारा मेघालय में चिकित्सा और नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित

- किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18. श्री सुरेश कुमार शेटकर द्वारा महात्मा बसवेश्वर जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किए जाने और उनके आदर्शों को देश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 19. श्री अवधेश प्रसाद द्वारा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए ज़मीन अधिग्रहण के बारे में।
 20. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक द्वारा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बिल्डरों द्वारा कृषि भूमि अधिगृहीत किए जाने के बारे में।
 21. श्री यूसुफ पठान द्वारा कोलकाता और यूरोपीय देशों के बीच सीधी विमान सेवा शुरू जाने की आवश्यकता के बारे में।
 22. श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा तमिलनाडु के रानीपेट जिले में एक समर्पित कैंसर अस्पताल अथवा जिला कैंसर केंद्र स्थापित किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 23. श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक और केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
 24. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे द्वारा कैवल्यधाम स्वास्थ्य और योग अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 25. श्री राजेश वर्मा द्वारा बिहार के खगड़िया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए एक विशेष पैकेज मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 26. श्री अभय कुमार सिन्हा
बिहार में राज्य राजमार्ग संख्या-69 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-139 को चार लेन वाले राजमार्ग के रूप में मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 27. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रंगाराया चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए लंबित धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
 28. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा देश में दुःसाध्य किडनी रोग (सीकेडी) से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए शीघ्र जांच किए जाने और निवारक देखभाल कार्यक्रमों की आवश्यकता के बारे में।
 29. एडवोकेट चन्द्र शेखर द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.01 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

निरसन और संशोधन विधेयक, 2025.

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय: 3 घंटा

लिया गया समय: 2 घंटे 32 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
2. श्री मनोज तिवारी
3. श्री लालजी वर्मा
4. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
5. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्ली
6. श्री कल्याण बनर्जी
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री उम्मेदा राम बेनीवाल
9. श्री दामोदर अग्रवाल
10. श्री अभय कुमार सिन्हा
11. श्री एस. वैकटेशन
12. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे
13. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे
14. श्री सुदामा प्रसाद
15. कामरेड सेल्वाराज वी.
16. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी
17. श्री रमेश अवस्थी
18. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति
19. श्री पटेल उमेषभाई बाबूभाई
20. श्री अब्दुल रशीद शेख
21. श्री राजेश रंजन

22. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
23. श्री राजू बिष्ट
24. श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर
25. श्री हनुमान बेनीवाल

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

14@ अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025 पर सदस्यों द्वारा किए जाने वाले संशोधनों के बारे में घोषणा की।

अपराहन 4.33 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय: 4 घंटा

लिया गया समय: 4 घंटे 8 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया ।

@अपराहन 2.06 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्री मणिककम टैगोर बी.
2. श्री कौंडा विश्वेश्वर रेड्डी
3. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर
4. श्रीमती शताब्दी राय
5. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी
6. श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे
7. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे
8. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर
9. श्री जी. कुमार नायक
10. श्रीमती कमलजीत सहरावत
11. तिरू डी. एम. कथीर आनंद
12. श्रीमती शांभवी
13. श्री राजीव राय
14. श्री अभय कुमार सिन्हा
15. श्री लावू श्री कृष्णा देवरायालू
16. श्री मलविंदर सिंह कंग
17. श्री मोहम्मद हमदुल्लाह सईद
18. डॉ. मन्ना लाल रावत
19. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी
20. श्री के. राधाकृष्णन
21. ई.टी. मोहम्मद बशीर
22. कामरेड सेल्वाराज वी
23. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

24. श्री वी. वैथिलिंगम
25. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज
26. श्री दर्शन सिंह चौधरी
27. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे
28. श्री हनुमान बेनीवाल
29. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील
30. श्री अब्दुल रशीद शेख
31. श्री राजकुमार रोट
32. श्री पटेल उमेशभाई बाबूभाई
33. श्री राजेश रंजन
34. एडवोकेट चन्द्र शेखर
35. श्री सुदामा प्रसाद
36. श्री राजमोहन उन्नीथन
37. श्रीमती मंजू शर्मा

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 से 14 स्वीकृत हुए।

खंड 15 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 से 43 स्वीकृत हुए।

खंड 44 से 67 स्वीकृत हुए।

खंड 68 से 70 स्वीकृत हुए।

खंड 71 से 78 स्वीकृत हुए।

खंड 79 से 95 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.41 बजे

(लोक सभा बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 17 दिसम्बर, 2025/ 26 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 102

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने डॉ. राम विलास वेदांती, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 247 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 248 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेंद्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (बीआरआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (बीआरआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (बीआरआईसी), भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) मुंबई विश्वविद्यालय-परमाणु ऊर्जा विभाग, मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुंबई विश्वविद्यालय-परमाणु ऊर्जा विभाग, मौलिक विज्ञान प्रकर्ष केंद्र, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडांकी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गडांकी के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) गृह कल्याण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गृह कल्याण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय भंडार, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) (एक) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक और खेल बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) (एक) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पंद्रहवीं, सोलहवीं, सत्रहवीं और अठारहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 43 दूसरा सत्र, 2009
2. विवरण संख्या 34 बारहवां सत्र, 2012

सोलहवीं लोक सभा

3. विवरण संख्या 29 आठवां सत्र, 2016
4. विवरण संख्या 22 तेरहवां सत्र, 2017-18
5. विवरण संख्या 22 सोलहवां सत्र, 2018-19

सत्रहवीं लोक सभा

6. विवरण संख्या 21 दूसरा सत्र, 2019
7. विवरण संख्या 21 तीसरा सत्र, 2020
8. विवरण संख्या 23 पांचवां सत्र, 2021
9. विवरण संख्या 22 छठा सत्र, 2021
10. विवरण संख्या 16 आठवां सत्र, 2022
11. विवरण संख्या 14 नौवां सत्र, 2022
12. विवरण संख्या 11 दसवां सत्र, 2022
13. विवरण संख्या 12 ग्यारहवां सत्र, 2023
14. विवरण संख्या 10 बारहवां सत्र, 2023
15. विवरण संख्या 10 चौदहवां सत्र, 2023
16. विवरण संख्या 8 पंद्रहवां सत्र, 2024

अठारहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 17. विवरण संख्या 7 | दूसरा सत्र, 2024 |
| 18. विवरण संख्या 6 | तीसरा सत्र, 2024 |
| 19. विवरण संख्या 4 | चौथा सत्र, 2025 |
| 20. विवरण संख्या 1 | पांचवां सत्र, 2025 |

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एसएस नगर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एसएस नगर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डेक), पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डेक), पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीटी), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीटी), नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत आधार (नामांकन और अद्यतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2025 जो दिनांक 25 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एचक्यू-16021/2/2021-ईयू-II-एचक्यू(ई-6538) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.778(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.779(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विधिक मापविज्ञान (सामान्य) छठा संशोधन नियम, 2025 जो दिनांक 28 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.875(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विधिक मापविज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) दूसरा (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 दिसंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.881(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) महानिदेशक (आकाशवाणी) और महानिदेशक (दूरदर्शन) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 3 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एन-10/001(6)/2015-पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रसार भारती में प्रतिनियुक्तिवत माने गए सरकारी कर्मचारियों और प्रसार भारती के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) पदोन्नति प्रक्रिया विनियम, 2025 जो दिनांक 6 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं. एम-1/001(05)/2024-पीबीआरबी में प्रकाशित हुए थे।

(5) (एक) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जवाहरलाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभिकल्प केन्द्र (जेएनएआरडीडीसी), नागपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सा.का.नि.706(अ) जो दिनांक 24 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा आरआरबी भर्ती प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण कवरेज के विस्तार को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भारतीय रेलवे कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय रेलवे कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हर्ष मल्होत्रा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 के 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और प्रशासन की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2025 के बारे में राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना देंगे।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने 'इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के विशिष्ट संदर्भ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2025-2026) का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2025-2026) के निम्नलिखित अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 28 अगस्त, 2025 का भुवनेश्वर का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।
- (2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 3 नवम्बर, 2025 से 7 नवम्बर, 2025 तक पचमढ़ी, भोपाल और पणजी का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण

श्री गणेश सिंह ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित 'अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न उपायों/योजनाओं का कार्यान्वयन' विषय के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित 'भारत सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के अधीन पदों और सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति का निरूपण और कार्यान्वयन तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अंतर्गत विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' विषय के बारे में समिति के 7वें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी नौवें प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

9. महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. डी. पुरंदेश्वरी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित 'असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण' के बारे में महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति (2025-26) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के दूसरे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई विवरण और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के अंतिम उत्तर।
- (2) 'सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों से संबंधित मुकद्दमे' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के चौथे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई विवरण।
- (3) 'कच्चे तेल के आयात नीति की समीक्षा' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई से संबंधित समिति के पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई विवरण।

12. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम और एनसीआरटीसी की भूमिका' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2025-26) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया:-

- (1) खान मंत्रालय से संबंधित 'खनिज और धातु में आत्मनिर्भरता' विषय के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित 'जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का कार्यान्वयन और उपयोग-एक समीक्षा' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।

14. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री बिप्लब कुमार देब ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

15. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति का साक्ष्य अभिलेख

श्री बिप्लब कुमार देब ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य अभिलेख की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

16. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) योजना मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) योजना मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)'के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

2. विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में केबल टेलीविजन का विनियमन' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के 56वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

3. कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश चंद्र दुबे) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)'के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)'के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

4. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने रेल मंत्रालय से संबंधित 'सड़क ओवर ब्रिज/सड़क अंडर ब्रिज सहित रेल सुरंगों और पुलों का निर्माण तथा रख-रखाव' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा:-

अपराहन 12.12 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1.	श्री मनोज तिवारी द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2.	श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खाली पड़ी वन भूमि पर जूलोजिकल पार्क (चिड़ियाघर) की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
3.	श्री दुलू महतो द्वारा झारखंड के तालगड़िया रेलवे स्टेशन को एक सैटेलाइट रेलवे स्टेशन (उपग्रह रेलवे स्टेशन) के रूप में विकसित करने और दिल्ली और ओडिशा

	के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए उक्त स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4.	श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी द्वारा बंसधारा बेसिन में महानदी-ऋषिकुल्य अंतर बेसिन जल हस्तांतरण लिंक पर प्रस्तावित नंदिनी बांध के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5.	श्रीमती भारती पारधी द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पर्याप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा के बोलंगीर जिले में मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए अनुमोदन की आवश्यकता के बारे में।
7.	श्री नवीन जिंदल द्वारा देश में औषध निर्माण उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उच्च जोखिम वाले विलायक (सॉल्वेंट्स) की अनिवार्य, डिजिटली सक्षम ट्रेकिंग के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण की आवश्यकता के बारे में।
8.	श्री प्रवीन पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के फूलपुर में आईआईएम की स्थापना के बारे में।
9.	श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही द्वारा ओडिशा के भंजनगर या बौध जिले में लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों (एसएमआर) की स्थापना के लिए व्यापक व्यवहार्यता अध्ययन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10.	श्री दर्शन सिंह चौधरी द्वारा कृषि क्षेत्रों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए योजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11.	श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा दरभंगा को पटना-पूर्णिमा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की आवश्यकता के बारे में।
12.	श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा और नागर हवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों को शीघ्रता से

	पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13.	श्री तेजस्वी सूर्या द्वारा बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के किराए में संशोधन के लिए किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14.	श्रीमती रूपकुमारी चौधरी द्वारा छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम सुविधाओं के विस्तार हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में।
15.	श्री उम्मेदा राम बेनीवाल द्वारा राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लंबित मजदूरी के भुगतान और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में।
16.	श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा मल्लावरम-भोपाल-भीलवाड़ा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के दूसरे चरण के कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
17.	श्री बैन्नी बेहनन द्वारा केरल के चौक्का देसम, कोडासरी गांव और चलाकुडी तालुक की भूमि को आरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने वाले सर्वेक्षण संख्या 881 और 882 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
18.	श्री मनोज कुमार द्वारा बिहार में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान नहीं किए जाने के बारे में।
19.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के अलाप्पुझा जिले के चारुम्मडु में 'मप्पिला कला केंद्रम-अरबी और उर्दू साहित्य उत्कृष्टता केंद्र' की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।
20.	श्री राम प्रसाद चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

21.	श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में धान खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने और उन्हें पूरे वर्ष संचालित किए जाने तथा राज्य में यूरिया, पोटाश और डीएपी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
22.	डॉ. शर्मिला सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के काटावा में अधिग्रहीत भूमि के उत्पादक उपयोग के लिए प्रस्तावित एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23.	प्रो. सौगत राय द्वारा देश में यूरिया की कमी के कारण किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में।
24.	श्री सेल्वागणपति टी. एम. द्वारा तमिलनाडु के सेलम और चेन्नई के बीच विमान सेवाओं की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25.	तिरु तमिलसेल्वन थंगा द्वारा तमिलनाडु के थेनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डिंडीगुल-लोअरकैंप (कुमिली) ब्रॉड-गेज रेल मार्ग परियोजना के कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में।
26.	श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में राष्ट्रीय मिर्च अनुसंधान केंद्र की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।
27.	श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थारबिटिया रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 15509/15510 और 13213/13214 का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28.	श्री चंदन चौहान द्वारा जाति जनगणना में डीएनटी समुदाय के लिए अलग श्रेणी बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
29.	श्री पी. वी. मिथुन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश में एमजीएनआरईजीएस के तहत ग्रामीण रोजगार सृजन में आई गिरावट के बारे में।

30.	श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सांगली जिले में पेयजल परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत लंबित केंद्रीय निधि को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
-----	---

अपराहन 12.18 बजे

18. सरकारी विधेयक - पारित

भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक,
2025

आवंटित समय: 04 घंटे

लिया गया समय: 05 घंटे 39 मिनट

डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री शशांक मणि
3. श्री आदित्य यादव
4. प्रो. सौगत राय
5. तिरु अरुण नेहरू
6. डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी
8. श्रीमती सुप्रिया सुले

9. श्री अरविंद गणपत सावंत
10. डॉ. शशि थरूर
11. श्री शंकर लालवानी
12. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
13. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
14. श्री ससिकांत सेंथिल
15. श्री वीरेन्द्र सिंह
16. श्री सचिदानन्दम आर.
17. डॉ. रबीन्द्र नारायण बेहेरा
18. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी
19. श्री सुधाकर सिंह
20. श्री चंदन चौहान
21. श्री सुदामा प्रसाद
22. डॉ. शर्मिला सरकार
23. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम
24. श्री अनूप संजय धोत्रे
25. श्री हनुमान बेनीवाल
26. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समदसमदानी
27. श्री राजेश रंजन

28. श्री पटेल उमेषभाईबाबूभाई
29. एडवोकेट चन्द्र शेखर
30. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
31. कुमारी सुधा आर.
32. श्री मनीष जायसवाल
33. श्री पुष्पेंद्र सरोज
34. श्री रॉबर्ट ब्रूस सी.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 स्वीकृत हुआ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ।

खंड 10 और 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 15 स्वीकृत हुआ।
खंड 16 स्वीकृत हुआ।
खंड 17 और 18 स्वीकृत हुआ।
खंड 19 से 23 स्वीकृत हुआ।
खंड 24 स्वीकृत हुआ।
खंड 25 स्वीकृत हुआ।
खंड 26 से 28 स्वीकृत हुआ।
खंड 29, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खंड 30 और 31 स्वीकृत हुआ।
खंड 32 से 35 स्वीकृत हुआ।
खंड 36, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खंड 37 से 39 स्वीकृत हुआ।
खंड 40 स्वीकृत हुआ।
खंड 41 से 46 स्वीकृत हुआ।
खंड 47, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खंड 48 से 54 स्वीकृत हुआ।
खंड 55, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।
खंड 56 से 58 स्वीकृत हुआ।
खंड 59 से 65 स्वीकृत हुआ।

खंड 66 स्वीकृत हुआ।

खंड 67, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 68 से 70 स्वीकृत हुआ।

खंड 71, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 72 स्वीकृत हुआ।

खंड 73 से 82 स्वीकृत हुआ।

खंड 83 से 90 स्वीकृत हुआ।

खंड 91, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 5.40 बजे

19. सरकारी विधेयक - पारित

विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण):वीबी-जी राम जी (विकसित भारत जी राम जी) विधेयक, 2025

आवंटित समय: 04 घंटे

लिया गया समय: 02 घंटे 32 मिनट

श्री शिवराज सिंह चौहान ने विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

श्री जय प्रकाश
श्री बृजमोहन अग्रवाल
श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल
सुश्री महुआ मोड़त्रा
श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि
श्री दिलेश्वर कामैत
श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके
श्री भुमरे संदिपनराव आसाराम
श्री कोडिकुन्नील सुरेश
श्री गणेश सिंह
श्री सनातन पांडेय
श्रीमती वीणा देवी
श्री अभय कुमार सिन्हा

श्री दिलीप शङ्कीया

श्री सालेंग ए. संगमा

श्री अमरा राम

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

श्री एस. जगतरक्षकन

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक

श्री गुरमीत सिंह मीत हायेर

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे

श्री बैन्नी बेहनन

श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.41 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025/ 27 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 103

पूर्वाह्न 11.01 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने श्री दारु पुल्लैया, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य, प्रो. महादेवराव शिवंकर, नौवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य, श्री कुसुमा कृष्ण मूर्ति, छठी, सातवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री शमनूर शिवशंकरप्पा, बारहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 266 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 267 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निवारक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में टिप्पणी की।

अपराह्न 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से प्रथम अनुदानों की अनुपूरक मांगों-2025-2026 के अनुबंध के शुद्धिपत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल ओराम) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड 6 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
 - (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति ।
 - (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन - संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 25) (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर)-(अनुपालन लेखापरीक्षा)- राजस्व विभाग ।
- (2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 34) (अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा वाणिज्यिक) रक्षा संबंधी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
- (3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार-(प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 17)-(निष्पादन लेखापरीक्षा-वाणिज्यिक) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति।
- (4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 23) (वाणिज्यिक) (अनुपालन लेखापरीक्षा) -केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन।
- (5) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 24) - (अनुपालन लेखापरीक्षा-रेलवे) भारतीय रेलवे में निजी साइडिंग पर शुल्क की लेवी और वसूली और दक्षिण पश्चिम रेलवे, रेल मंत्रालय में सिग्नलिंग सिस्टम का कार्यकरण।
- (6) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन - संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 21) (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) (अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क) सीमा शुल्क - राजस्व विभाग के बारे में ।
- (7) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 20) - (निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास के बारे में ।
- (8) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 28) - (रक्षा सेवाएँ-सेना) - (अनुपालन लेखापरीक्षा-रक्षा) खंड-एक ।
- (9) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार - (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 27) - (रक्षा सेवाएँ-सेना) (निष्पादन लेखापरीक्षा-रक्षा) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना।
- (10) भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 26) (अनुपालन लेखापरीक्षा-रेलवे) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, रेल मंत्रालय द्वारा बहु-कार्यात्मक परिसरों और वाणिज्यिक स्थलों के विकास के बारे में।

- (11) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन - संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 22) (अनुपालन लेखापरीक्षा - सिविल और वाणिज्यिक) ।
- (12) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन - संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 29) (अनुपालन लेखापरीक्षा) - वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभाग ।
- (13) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन - संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 30) (रक्षा सेवाएं-नौसेना) - (निष्पादन लेखापरीक्षा-रक्षा) भारतीय नौसेना में कार्य प्रबंधन के बारे में।
- (14) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (प्रतिवेदन संख्यांक 2025 का 33) ((निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल) ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम पर, राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क) ।
- (15) वर्ष 2024-2025 के लिए संघ सरकार-विनियोग लेखे (रक्षा सेवाएँ)।
- (16) वर्ष 2024-2025 के लिए - संघ सरकार- डाक सेवाओं के विनियोग लेखे।
- (17) वर्ष 2024-2025 के लिए संघ सरकार-विनियोग लेखे (सिविल)।
- (18) वर्ष 2024-2025 के लिए संघ सरकार-वित्त लेखे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, श्री विजय पुरम का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (5) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश गोपी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): -
- (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2025-2026 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (च) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (छ) (एक) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) भारतीय पाककला संस्थान (तिरुपति और नोएडा), नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय पाककला संस्थान (तिरुपति और नोएडा), नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2025 जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 795 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम 2025 जो दिनांक 21 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 568 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केंद्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम 2025 जो दिनांक 4 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 819 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केंद्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 12 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 834 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो दिनांक 24 नवंबर, 2025 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 862 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (पांच) केंद्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 12 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835 (अ)में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केंद्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 17 नवंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 850 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3349(अ) जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो तथा जो ईपीसी मोड पर असम राज्य में एनएच-31 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 1040.300 से कि.मी. 1124.514 तक, एनएच-37 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 146.000 से कि.मी. 205.000 तक; एनएच-37 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 205.000 से कि.मी. 237.489 तक, एनएच-36 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 0.321 से कि.मी. 5.500 से कि.मी. 37.894 तक, एनएच-54 (नया एनएच-27) पर कि.मी. 0.000 से कि.मी. 83.400 तक परनलबाड़ी-बिजनी-गुवाहाटी-नागांव-लंका-हाटीखली खंड की चार लेनिंग की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (दो) का.आ. 3446(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 167 के कि.मी. 182.120 से कि.मी. 227.600 तक हग्गारी - जडचर्ला खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 3447(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116बी (नंदकुमार-दिघा खंड) के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 25.500 तथा कि.मी. 41.000 से कि.मी. 64.700 तक नंदकुमार से दिघा खंड की पेव्ड शोल्डर्स वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चार) का.आ. 3448(अ) जो दिनांक 25 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709एडी के डिजाइन कि.मी. 153.660 से डिजाइन कि.मी. 175.280 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से

- कि.मी. 24.780) तक मुजफ्फरनगर - मीरानपुर खंड की पेव्ड शोल्डर्स वाली दो लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 3541(अ) जो दिनांक 31 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-47 (पुराना एनएच-69) (नागपुर-ओबैदुल्लागंज खंड (नागपुर-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा) के डिजाइन कि.मी. 2.950 से कि.मी. 59.640 (मौजूदा कि.मी. 3.00 से कि.मी. 59.300) तक तथा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-47 (पुराना एनएच-69) के ओबैदुल्लागंज-बेतूल-मुल्ताई-मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खंड के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 117.822 (मौजूदा कि.मी. 137.00 से कि.मी. 257.400) तक की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छह) का.आ. 3642(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो तमिलनाडु राज्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ए (नया एनएच-32) के डिजाइन कि.मी. 29.000 से कि.मी. 67.000 (मौजूदा चेनेज कि.मी. 25.624 से कि.मी. 77.000 तक) तक पुडुचेरी से पूंडियांकुप्पम खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सात) का.आ. 3643(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो कर्नाटक राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर एनएच-48 (पुराना एनएच-4) के डिजाइन चेनेज कि.मी. 29.500 से कि.मी. 62.000 तक (मौजूदा कि.मी. 29.500 से कि.मी. 62.000) नेलमंगला-तुमकुर खंड एनएच-48 की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 3735(अ) जो दिनांक 13 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एचएएम मोड पर उत्तर प्रदेश राज्य में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे सं. एनई-6 के कि.मी. 17.580 से कि.मी. 73.744 तक (लंबाई 56.164 कि.मी.) 6 लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 3832(अ) जो दिनांक 20 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर दिल्ली और हरियाणा राज्यों में एनएच-344एन की 6 लेन वाले परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है, जो एनएच-344एम, दिल्ली (एनएच-344एम के कि.मी. 26.135 पर या यूईआर-II) से शुरू होकर हरियाणा में बहादुरगढ़ के निकट एनएच-10 के बहादुरगढ़ बाईपास तक, एनएच-344एम (अर्बन एक्सटेंशन रोड-आईआई) पैकेज-5 के स्पर के रूप में है।

- (दस) का.आ. 3865(अ) जो दिनांक 25 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में एनएच-344 (पुराना एनएच-73) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 41.820 तक (मौजूदा किमी. 51.340 से किमी. 27.193 एवं किमी. 0.000 से 17.900 एनएच-307 (पुराना एनएच-72ए) तक सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर खंड तथा एनएच-344 (पुराना एनएच-73) के किमी. 0.000 (एनएच-58 के किमी. 167.800) से एनएच-344 (पुराना एनएच-73) के किमी. 27.193 तक रुडकी-छुटमलपुर-गगलहेरी खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 3928(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो भारतमाला परियोजना के अंतर्गत तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएच-365बीजी के खम्मम-देवरापल्ली खंड के 4-लेन वाले एक्सेस कंट्रोल्ड न्यू ग्रीनफील्ड हाईवे खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 3929(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-753एल के किमी. 0.00 से 44.760 तक पैकेज-I तथा 15.74 किमी. के किमी. 44.760 से 60.500 तक पैकेज-II की पेव्ड शोल्डर सहित पाहुर-जामनेर-बोधवाड़-मुक्ताईनगर-बुरहानपुर खंड की दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 3930(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-731 के खुटार बाईपास के प्रारंभ से शाहजहाँपुर बाईपास के प्रारंभ तक (किमी. 40.000 से किमी. 88.750 तक) खंड की दो और चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 3972(अ) जो दिनांक 29 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर ओडिशा राज्य में एनएच-26 (पुराना एनएच-201) के डिज़ाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 72.000 तक बारगढ़-बोलांगीर खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 4062(अ) जो दिनांक 4 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. एनई-4 पर दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे के किमी. 696.920 (दाहोद) से किमी. 844.667 (वडोदरा) तक (लंबाई 147.747 किमी.) की 8 लेन वाली खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क

अधिसूचना के बारे में है।

- (सोलह) का.आ. 4078(अ) जो दिनांक 8 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 161ए के डिज़ाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 99.250 तक उस्मान नगर से वजार खंड तक पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ. 4079(अ) जो दिनांक 8 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 752एच के पालफाटा से राजुरी खंड (डिज़ाइन चेनेज किमी. 46.210 से किमी. 0.000 तक) की चार/दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अठारह) का.आ. 4160(अ) जो दिनांक 15 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 (नया एनएच-534) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 10.764 तक (मौजूदा किमी. 112.545 से किमी. 122.200 तक) तथा नजीबाबाद-कोटद्वार खंड (किमी. 122.200 से किमी. 137.760 तक) नजीबाबाद बाईपास की 2एलपीएस/4 लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ. 4161(अ) जो दिनांक 15 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45बी (नया एनएच-38) के मदुरै-तूतीकोरिन खंड के किमी. 138.800 से 266.865 तक 128.065 किमी. लंबाई की 4 लेनिंग परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बीस) का.आ. 4162(अ) जो दिनांक 15 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 72ए (नया एनएच-307) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 19.785 तक (मौजूदा किमी. 17.900 से किमी. 38.600 तक) गणेशपुर-देहरादून खंड की चार लेन या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ. 4382(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (पुराना एनएच-29ई) के डिज़ाइन किमी. 0.000 (मौजूदा चेनेज किमी. 0.000) से डिज़ाइन किमी. 81.412 (मौजूदा चेनेज किमी. 80.000) तक सोनौली से गोरखपुर खंड की परियोजना के लिए दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 1611(अ) जो प्रयोक्ता शुल्क के बारे में है।

- (बाईस) का.आ. 4414(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 (पुराना एनएच-72) के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 36.420 तक पोंटा साहिब (एचपी) - झाजरा चौक (यूके) खंड की चार एवं अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तेईस) का.आ. 4415(अ) जो दिनांक 26 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752ई के डिज़ाइन चेनेज किमी. 55.937 से किमी. 114.486 तक (एनएच-548डी के साथ ओवरलैपिंग खंड किमी. 83.460 से 87.900 तक, लंबाई 4.44 किमी. को छोड़कर) के शिरूर-खरदा खंड की 2एलपीएस/4एल वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौबीस) का.आ. 4435(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य में एनएच-716बी के डिज़ाइन किमी. 0.000 से किमी. 116.100 तक चित्तूर से थाचूर खंड, जो आंध्र प्रदेश राज्य में चित्तूर के निकट एनई-7 (किमी. 151.900 पर), एनएच-40 के जंक्शन से शुरू होकर तमिलनाडु राज्य में थाचूर के निकट एनएच-16 के जंक्शन पर समाप्त होता है, की छह लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पच्चीस) का.आ. 4436(अ) जो दिनांक 29 सितंबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-340सी के डिज़ाइन किमी. 0.00 से डिज़ाइन किमी. 66.115 तक (मौजूदा किमी. 5.400 एनएच-40 से मौजूदा किमी. 73.00 तक) कुरनूल-मंडलम-अत्मकुर खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छब्बीस) का.आ. 4590(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1ए (नया एनएच-44) के किमी. 220.700 से किमी. 285.950 तक (श्रीनगर-काज़ीगुंड खंड) की चार या अधिक लेन वाली खंड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सत्ताईस) का.आ. 4591(अ) जो दिनांक 8 अक्टूबर, 2025 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर एनएचडीपी-आईवी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 73 (नया एनएच-344) के डिज़ाइन किमी. 51.340 से किमी. 86.855 तक गगलहेरी-सहारनपुर-यमुनानगर (यूपी/हरियाणा बॉर्डर) खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क

अधिसूचना के बारे में है।

- (अट्ठाईस) का.आ. 4642(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ई के डिज़ाइन किमी. 54.990 से किमी. 122.420 तक (मौजूदा चेनेज किमी. 53.585 से किमी. 121.840 तक) तलाजा-महुवा-विक्टर खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (उनतीस) का.आ. 4643(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 765 के डिज़ाइन चेनेज किमी. 244.000 से 267.990 तक (मौजूदा किमी. 244.000 से 268.700 तक) डोरनाला-कुंटा खंड की पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तीस) का.आ. 4644(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 516ई के डिज़ाइन किमी. 120.000 से किमी. 205.000 तक कोय्यूरु से चपरथीपालेम तथा चपरथीपालेम से लंबासिंगी खंड की पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (इकतीस) का.आ. 4647(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8ई के डिज़ाइन चेनेज किमी. 122.420 से किमी. 181.450 तक (मौजूदा चेनेज किमी. 121.840 से किमी. 180.478 तक) विक्टर-कागवदार-उना खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बत्तीस) का.आ. 4681(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जिसके द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2025 के का.आ. 3448 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतीस) का.आ. 4682(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709बी के डिज़ाइन चेनेज किमी. 0.000 से किमी. 31.600 तक दिल्ली-सहारनपुर-हाईवे की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौंतीस) का.आ. 4683(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था, तथा जो ईपीसी मोड पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 934 (पुराना एनएच-86) के किमी. 8.000 से किमी. 50.300 तक सागर-मोहारी खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 4684(अ) जो दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड पर झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 के मौजूदा किमी. 41.900 से किमी. 93.000 तक (डिज़ाइन किमी. 00.000 से किमी. 51.825 तक) मेहगामा-हंसडीहा खंड की चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ.4702 (अ) जो दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के चिन्ना औवुतुपल्ली से गोल्लापुडी (डिज़ाइन किमी 0.000 से किमी 30.000 तक) खंड की विजयवाड़ा बाईपास के चार या अधिक लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 4906(अ) जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 (पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग - 12 ए) के डिज़ाइन कि.मी. 245.375 से कि.मी. 316.468 (पहले कि.मी. 246.849 से कि.मी. 317.406) तक कवर्धा-सिमगा खंड के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अड़तीस) का.आ.5068(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 167ए के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.000 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 47.000) तक वोडारेवु - चिलकलुरिपेट खंड के पेव्ड शोल्डर्स सहित चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उनतालीस) का.आ.5069(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीओटी (टोल) पर कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के कि.मी. 10.000 से कि.मी. 29.500 तक बैंगलोर - नेलामंगला खंड की चार/छह लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चालीस) का.आ.4950(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड पर आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 516ई के डिजाइन चेनेज कि.मी. 43.700 से कि.मी. 113.820 (मौजूदा चेनेज कि.मी. 43.700 से कि.मी. 116.865) तक रंपचोडावरम से कोय्युरु सेक्शन के पेव्ड शोल्डर्स सहित दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इकतालीस) का.आ.4953(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 381बी के मुसिरी नमक्कल खंड (कि.मी. 34.000 से कि.मी. 73.200 तक) का चार या अधिक लेन वाले खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बयालीस) का.आ.5029(अ) जो दिनांक 4 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली और हरियाणा राज्यों में दौला फीस प्लाजा (गुड़गांव) पर राष्ट्रीय राजमार्ग -48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8) पर कि.मी. 14.300 से कि.मी. 42.000 तक दिल्ली से खेड़की तक चार लेन या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तैंतालीस) का.आ.5191(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 के म्यदुकुर से नेल्लोर खंड के डिजाइन कि.मी. 585.820 (मौजूदा कि.मी. 585.930) से डिजाइन कि.मी. 744.355 (मौजूदा कि.मी. 741.950) तक 2एलपीएस/4 लेन के परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चवालीस) का.आ.5035(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 248ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 36.810 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 37.352) तक शाहपुरा - थानागाजी खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पैंतालीस) का.आ.5036(अ) जो 6 नवंबर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-748 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-4ए) के डिजाइन कि.मी. 30.000 से कि.मी. 82.300 (मौजूदा कि.मी. 30.800 से कि.मी. 84.120) तक खानपुर से गोवा/कर्नाटक सीमा खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन वाली परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छियालीस) का.आ.5037(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर भारतमाला के तहत

केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के डिजाइन चनेज कि.मी. 17.200 से कि.मी. 56.200 (नया राजमार्ग संख्या चनेज कि.मी. 00.000 से कि.मी. 39.000) तक थालापडी (केरल/कर्नाटक बॉर्डर) से चेंगाला खंड के चार लेन या उससे अधिक लेन की परियोजना के लिए के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

- (सैंतालीस) का.आ.5083(अ) जो दिनांक 6 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-57 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-224) के डिजाइन चनेज कि.मी. 239.900 से कि.मी. 294.300 तक नयागढ़-खोरधा खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (अड़तालीस) का.आ.5084(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में पब्लिश हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 548सी के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 85.686 तक सतारा- म्हसवद के खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (उनचास) का.आ.5086(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227ए के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 54.960 (मौजूदा कि.मी. 0.000 से कि.मी. 55.00) तक छावनी से छपिया गांव के पास खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।
- (पचास) का.आ.5087(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-966 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -213) के कि.मी. 87.000 से कि.मी. 133.720 तक नट्टुकल - थानौ जंक्शन, प्लक्कड़ खंड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन की परियोजना के उपयोग के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (4) (एक) भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम-टी), तंजावुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम-टी), तंजावुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) (एक) राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दुर्गादास उइके) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, पापुम पारे के वर्ष 2018-2019, 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन अस्पताल, ईटानगर, पापुम पारे के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर, जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2016-2017, 2021-2022 और 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर, जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित रामकृष्ण मिशन स्कूल, नरोत्तम नगर, जिला तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) रामकृष्ण मिशन आलो, पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन, आलो, पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, बाराजुरी, घाटशिला, झारखंड के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, बाराजुरी, घाटशिला, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2015-2016 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2017-2018, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ, दुमका, झारखंड के वर्ष 2017-2018 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की गई समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, रांची के वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम, मोरहाबादी, रांची के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम, रांची, झारखंड के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम, रांची, झारखंड के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) खंडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खंडेराव एजुकेशन सोसाइटी, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन आश्रम, चेरापूंजी, मेघालय के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री रामकृष्ण आश्रम, कालाहांडी, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) मुयाल लियांग ट्रस्ट, योंगडा हिल, गंगटोक, सिक्किम के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के

लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) मुयाल लियांग ट्रस्ट, योंगडा हिल, गंगटोक, सिक्किम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) ग्रामीया मक्कल अभिविरुद्धी इयक्कम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ग्रामीया मक्कल अभिविरुद्धी इयक्कम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नीलगिरी आदिवासी कल्याण संघ, कोटागिरी, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत सेवाश्रम संघ बालुरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) आदर्श लोक कल्याण संस्था, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) आदर्श लोक कल्याण संस्था, सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2017-2018, 2018-2019 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केशव ग्रामोत्थान शिक्षण समिति, डिंडोरी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मध्य प्रदेश आदिवासी सेवक संघ, जिला-शहडोल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) सोसायटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी फॉर नेचर, एजुकेशन एंड हेल्थ (एसएनईएच), खोरधा, ओडिशा के वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) ग्राम विकास परिषद, नागांव, असम के वर्ष 2019-2020 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष

2019-2020, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) ग्राम विकास परिषद, नागांव, असम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) नॉग्रेम युवा विकास संघ, शिलांग, जिला- पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017 और 2017-2018 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉग्रेम युवा विकास संघ, शिलांग, जिला-पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) भारतियार मक्कल नलवालु संघम, सेलम, तमिलनाडु के वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतियार मक्कल नलवालु संघम, सेलम, तमिलनाडु के वर्ष 2017-2018 और 2023-2024 के कार्यक्रम के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित वर्ष 2017-2018 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) पांडे शिक्षा समिति, ग्राम-भमरहा, पोस्ट-देवदहा, तहसील-रामनगर जिला-सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पांडे शिक्षा समिति, ग्राम-भमरहा, पोस्ट-देवदहा, तहसील-रामनगर जिला-सतना, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) अशोक आश्रम, पोस्ट ऑफिस: अशोक आश्रम, वाया डाक पत्थर, जिला-देहरादून, उत्तराखंड के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन

- की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अशोक आश्रम, पोस्ट ऑफिस: अशोक आश्रम, वाया डाक पत्थर, जिला- देहरादून, उत्तराखंड के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) अरुण ग्रामीण मामलों के संस्थान (एआईआरए), अश्वखोला, करमुल, महिमगडी, ढँकनाल, ओडिशा के वर्ष 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरुण ग्रामीण मामलों के संस्थान (एआईआरए), अश्वखोला, करमुल, महिमगडी, ढँकनाल, ओडिशा के वर्ष 2018-2019, 2019-2020, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019, 2019-2020 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) दामपुर, पोस्ट ऑफिस-बेरबोई, जिला-पुरी, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) दामपुर, पोस्ट ऑफिस-बेरबोई, जिला- पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) प्रकल्प, ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखा परीक्षित लेखे।
- (दो) प्रकल्प, ज्योतिपुर, जिला-क्योंझर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (49) (एक) टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, रामेश्वर पटना, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2016-2017, 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट, रामेश्वर पटना, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित वर्ष 2018-2019 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस (विश्वास), नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ एंड वेलफेयर सर्विस (विश्वास), नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, जिला-वायनाड, केरल के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, जिला-वायनाड, केरल के वर्ष 2020-2021 और 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) उपर्युक्त (52) में उल्लिखित वर्ष 2020-2021 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन और ग्रामीण विकास सेवा थौबल, मणिपुर के वर्ष 2018-2019, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन और ग्रामीण विकास सेवा थौबल, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित वर्ष 2020-2021 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) सामाजिक शिक्षा पर्यावरण और विकास (एसईईडी), एस टांडापल्ली, पोस्ट तमसा, जिला मलकानगिरी, ओडिशा के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सामाजिक शिक्षा पर्यावरण और विकास (एसईईडी), एस टांडापल्ली, पोस्ट तमसा, जिला मलकानगिरी, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित वर्ष 2020-2021 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए), आईएनआरईसीए कॉम्प्लेक्स, डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंटरनेशनल रूरल एजुकेशन एंड कल्चरल एसोसिएशन (आईएनआरईसीए), आईएनआरईसीए कॉम्प्लेक्स, डेडियापाड़ा, नर्मदा, गुजरात के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम के सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) वायनाड गिरिजाना सेवा ट्रस्ट, जिला वायनाड, केरल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वायनाड गिरिजाना सेवा ट्रस्ट, जिला वायनाड, केरल के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित वर्ष 2021-2022 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, चाम्स कैंपस, कांगलाटोंगबी, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चिल चिल एशियन मिशन सोसाइटी, चाम्स कैंपस, कांगलाटोंगबी, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) विन स्टीवंस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डब्ल्यूएससीटीआई कैंपस, चिंगखुलॉंग, लामसांग, इंफाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2020-2021 और 2021-2022 के लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विन स्टीवंस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, डब्ल्यूएससीटीआई परिसर, चिंगखुलॉंग, लामसांग, इंफाल पश्चिम, मणिपुर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित, वर्ष 2021-2022 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86 सीएस, आज़ाद मार्ग, राणापुर, झाबुआ मध्य प्रदेश के वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अमय ग्रामीण उत्थान समिति, 86 सीएस, आज़ाद मार्ग, राणापुर, झाबुआ मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) उपर्युक्त (64) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) बौद्ध दर्शन और जनजातीय सांस्कृतिक समाज अध्ययन संस्थान (आईएसबीपी और टीसीएस), लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लिए लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बौद्ध दर्शन और जनजातीय सांस्कृतिक समाज अध्ययन संस्थान (आईएसबीपी एंड टीसीएस), लाहौल और स्पीति, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) उपर्युक्त (66) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर, राजस्थान के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (69) (एक) सव्यसांची शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, अमर निकुंज, अर्जुन नगर, जिला सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सव्यसांची शहरी एवं ग्रामीण विकास केन्द्र, अमर निकुंज, अर्जुन नगर, जिला सीधी, मध्य प्रदेश के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) श्री गणेश फाउंडेशन, लोहगांव, रंजने, शिंदखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री गणेश फाउंडेशन, लोहगांव, रंजने, शिंदखेड़ा, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) चंद्राई महिला मंडल, पिंपलनेर, ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चंद्राई महिला मंडल, पिंपलनेर, ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, पोस्ट-कोटुल, ताल-अकोले, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री कोटुलेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, पोस्ट-कोटुल, ताल-अकोले, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री स्वामी स्वयं सेवा भावी संस्था, गणेशपुर, जिला धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा की गयी समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (78) उपर्युक्त (77) में उल्लिखित, वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (79) (एक) एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एकीकृत ग्रामीण विकास और शैक्षिक संगठन, मणिपुर के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) (एक) संकल्प, रिवर छिन्दा व्यू एट-पटरकाना, पोस्ट-कसारदा, पीएस-नियाली, कटक, ओडिशा वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संकल्प, रिवर छिन्दा व्यू एट-पटरकाना, पोस्ट-कसारदा, पीएस-नियाली, कटक, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) उपर्युक्त (80) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) (एक) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिला कोरापुट, ओडिशा के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोरापुट डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिला कोरापुट, ओडिशा के 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) (एक) संधि निकेतन शिक्षण संस्थान, वडगांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की

- एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संधि निकेतन शिक्षण संस्था, वडगांव, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (84) (एक) दयानंद सेवाश्रम संघ, बोकाजन, कार्बी आंगलॉग, असम के वर्ष 2019-2020 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2019-2020, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दयानंद सेवाश्रम संघ, बोकाजन, कार्बी आंगलॉग, असम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (85) उपर्युक्त (84) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (86) (एक) महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, लेह लद्दाख के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र, लेह लद्दाख के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (87) उपर्युक्त (86) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) (एक) मालमाथा परिसर शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर (पांच), ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मालमाथा परिसर शिक्षण प्रसारक मंडल, नागपुर (पांच), ताल-सकरी, जिला-धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) उपर्युक्त (88) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) (एक) पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, सी-537, पुष्पा नगर कॉलोनी, स्टेशन एरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पुष्पा कॉन्वेंट एजुकेशन सोसाइटी, सी-537, पुष्पा नगर कॉलोनी, स्टेशन

एरिया, भोपाल, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (91) उपर्युक्त (90) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) (एक) सेवा समाज, डाकघर-गुनुपुर, जिला-रायगढ़, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेवा समाज, डाकघर-गुनुपुर, जिला-रायगढ़, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) उपर्युक्त (92) में उल्लिखित वर्ष 2022-2023 के पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) (एक) तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2020-2021, 2021-2022 और 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) तापी परिसर एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट, धुले, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) उपर्युक्त (94) में वर्ष 2022-2023 के लिए उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (96) (एक) भारत सेवाश्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारत सेवा/श्रम संघ बेलडांगा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (97) (एक) रामकृष्ण शारदा मिशन, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) रामकृष्ण शारदा मिशन, तिरप, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(98) उपर्युक्त (97) में वर्ष 2022-2023 के लिए उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुड़, झारखंड के वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुड़, झारखंड के वर्ष 2022-2023 और 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(99) उपर्युक्त (98) में वर्ष 2022-2023 के लिए उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(100) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2024-2025 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (चार) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2024-2025 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) वाष्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) वाष्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (2025 का प्रतिवेदन संख्यांक 38) - (निष्पादन लेखापरीक्षा - वाणिज्यिक) - स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के ब्लास्ट फर्नेस का कार्य निष्पादन, इस्पात मंत्रालय, की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू) ने सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 1994 की धारा 43 के अंतर्गत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अवकाश) संशोधन विनियम, 2024, जो दिनांक 19 जुलाई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. ए-42011/60/2020-एचआर में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2024-2025 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(क) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

- (एक) कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2025 को हुई अपनी बैठक में निरसन और संशोधन विधेयक, 2025, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (दो) कि राज्य सभा 17 दिसम्बर, 2025 को हुई अपनी बैठक में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक, 2025, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

7. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुष्यंत सिंह ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा' विषय के बारे में 68वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बाईसवां प्रतिवेदन।
- (2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेईसवां प्रतिवेदन।
- (3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में चौथे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन।
- (4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन।
- (5) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में 10वें प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य' विषय के बारे में नौवां प्रतिवेदन।
- (2) 'विदेश मंत्रालय की वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की मांगें' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी दसवां प्रतिवेदन।
- (3) 'एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई और प्रवासी श्रमिकों सहित विदेश में रहने वाले भारतीय प्रवासी : उत्प्रवास विधेयक की स्थिति सहित उनकी स्थिति और कल्याण के सभी पहलू' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (18वीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी ग्यारहवां प्रतिवेदन।

9. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण

सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे ने विदेश मंत्रालय की वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन (अठारहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 - कार्यान्वयन एवं प्रभावोत्पादकता' के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवनीत सिंह) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26) (मांग संख्या 45)' के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तोखन साहू) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-
 - (एक) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के सत्रहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

12. 'संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025; और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025' संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय को बढ़ाया जाना

श्रीमती अपराजिता सारंगी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि यह सभा ‘संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025; और संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत किये जाने के लिए समय को बजट सत्र, 2026 के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिवस तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

³@अपराहन 12.14 बजे

13. सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

प्रतिभूति बाजार संहिता, 2025

श्री मनीश तिवारी और तिरु अरुण नेहरू ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने अनुरोध किया कि विधेयक को संबंधित विभाग संबंधी स्थायी समिति को सौंपा जाए।

तत्पश्चात, अध्यक्षपीठ ने विधेयक को संबंधित विभाग संबंधी स्थायी समिति को सौंपे जाने की घोषणा^{4&} की।

अपराहन 12.23 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के पीएम श्री विद्यालयों और संदीपनी विद्यालयों में एनसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

@ अपराहन 12.12 बजे से अपराहन 12.14 बजे तक सदस्यों ने लोक महत्व के मामले उठाये।

& मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

3. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी द्वारा कर्नाटक में एनएच-66 पर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे और अन्य सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि के आवंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
4. श्री काली चरण सिंह द्वारा झारखंड के 'इटखोरी महोत्सव' को 'राष्ट्रीय महोत्सव' के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
5. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा बारापुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना के अंतर्गत ओडिशा के कई प्रख्यात व्यक्तियों के जन्मस्थानों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में श्री दाऊजी महाराज मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता के बारे में।
7. श्री पी. पी. चौधरी द्वारा देश में विरासत की नई श्रेणियों को मान्यता देने और असुरक्षित विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए एक विधायी ढांचे की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री लुम्बा राम चौधरी द्वारा राजस्थान के जालोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रेलवे से जुड़े मुद्दों के बारे में।
9. श्री इटैला राजेंद्र द्वारा तेलंगाना के मलकाजगिरि संसदीय क्षेत्र में रक्षा भूमि तक सार्वजनिक पहुंच प्रदान करने के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. श्री परिमल शुक्लबैद्य द्वारा सिलचर और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
11. श्री जगदम्बिका पाल द्वारा 'कालानमक विकास बोर्ड' का गठन करना और कालानमक चावल को एपीईडीए अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. डॉ. मन्ना लाल रावत द्वारा राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित करने के लिए नियमों में ढील दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
13. डॉ. सी एम रमेश द्वारा आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में एक डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में रेलवे संपर्क, अवसंरचना और यात्री सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
15. डॉ. मल्लू रवि द्वारा तेलंगाना में कुटीर उद्योगों और अन्य लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए लंबित केंद्रीय निधियों को जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
16. एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा इडुक्की संसदीय क्षेत्र और केरल के अन्य हिस्सों में सब्सिडी वाले यूरिया और पोटैश की कमी के कारण किसानों को हो रही समस्याओं के बारे में।
17. श्री राहुल कस्वां द्वारा सिंचाई नहर प्रणाली को उन्नत करने और सिंधु बेसिन से राजस्थान की ओर पानी मोड़ने की आवश्यकता के बारे में।

18. एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल में विझिंजम से नवाइकुलम तक आउटर रिंग रोड परियोजना को मंजूरी देना और परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई जमीनों के मालिकों को मुआवजा वितरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा ऑनलाइन लिंग आधारित दुर्व्यवहार और एआई-सक्षम अपराधों को विनियमित करने के लिए कानून लाने के साथ-साथ डिजिटल सुरक्षा केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
20. श्री राजीव राय द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए नौकरी में आरक्षण को ग्रुप 'ए' और 'बी' पदों तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
21. श्री सनातन पांडेय द्वारा ट्रेन संख्या 22581/22582 की आवृत्ति बढ़ाने और ट्रेन के समय में बदलाव करने के साथ-साथ रेलवे से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
22. सुश्री महुआ मोड़त्रा द्वारा पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों का संरक्षण और सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
23. श्री के.ई. प्रकाश द्वारा तमिलनाडु को समग्र शिक्षा योजना के तहत आवंटित लंबित धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
24. श्री रामप्रीत मंडल द्वारा बिहार के झंझारपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के झंझारपुर बाजार में जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
25. श्री संजय दिना पाटील द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए जल निकासी व्यवस्था, पंपिंग सिस्टम और वास्तविक समय आपदा प्रबंधन तंत्र को उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
26. श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा मुंबई उपनगरीय रेल नेटवर्क के दोनों छोरों पर वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल समर्पित रेल कोच उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
27. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर द्वारा मुंबई के तटीय विनियमन क्षेत्र में झुग्गी-झोपड़ी समूहों के पुनर्विकास को मंजूरी देने के लिए सीआरजेड-2 अधिसूचना, 2019 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
28. श्री राजा राम सिंह द्वारा दरभंगा स्थित एम्स के निर्माण और पटना स्थित एम्स के विस्तार में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
29. श्री जयन्त बसुमतारी द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छता सेवाओं के विकास के लिए बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को सीधे अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.24 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

*विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण):वीबी-जी राम जी
(विकसित भारत - जी राम जी) विधेयक, 2025.*

सभा में घोषित किया गया समय: 4 घंटा
लिया गया समय: 8 घंटे 38 मिनट

श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 17 दिसम्बर, 2025 को विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक खंड-वार विचार के लिए लिया गया।

खंड 2 से 37 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 1.07 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2025 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2025/ 28 अग्रहायण, 1947 (शक)

संख्या 104

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने अठारहवीं लोक सभा के छठे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख* किया।

पूर्वाहन 11.01 बजे

2. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाहन 11.02 बजे

(लोक सभा पूर्वाहन 11.02 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।